रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 591] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 7, 2016/फाल्गुन 17, 1937
No. 591] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 7, 2016/PHALGUNA 17, 1937

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च 2016

का.आ. 683(अ).—केंद्रीय सरकार (नागर विमानन मंत्रालय की संचालन समिति), राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 का 26) की धारा 27 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित परिनियम बनाती है, अर्थात्-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन परिनियमों का संक्षिप्त नाम राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय पहला परिनियम 2016 है।

(2) ये परिनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत होंगे।

2. परिभाषाएं.—(1) इन परिनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(*क*) "अधिनियम" से राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 (2013 का 26) अभिप्रेत है;

(*ख*) "खंड" से परिनियमों का वह खंड अभिप्रेत है जिसमें उक्त अभिव्यक्ति आती है;

(*ग*) "अध्यादेश" से अधिनियम के अधीन बनाए गए विश्वविद्यालय के अध्यादेश अभिप्रेत हैं;

(*घ*) "अन्य अधिकारी" से विश्वविद्यालय के कुलाधिपति, कुलपति, स्कूलों के डीनों, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी और परीक्षा नियंत्रक से भिन्न, अन्य अधिकारी अभिप्रेत हैं, जिन्हें परिनियमों द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में घोषित किया जाएं;

(*ङ.*) "धारा" से अधिनियम की धारा अभिप्रेत है;

(*च*) "चयन समिति" से परिनियम 21 में निर्दिष्ट चयन समिति अभिप्रेत है;

(*छ*) "विनिर्दिष्ट" से अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;

(*ज*) "स्थायी या विशेष समिति" से परिनियम 24 में निर्दिष्ट स्थायी या विशेष समिति अभिप्रेत है;

(*झ*) "संबद्धता और मान्यता बोर्ड" से परिनियम 18 में निर्दिष्ट बोर्ड अभिप्रेत है;

(ञ) "विश्वविद्यालय" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय अभिप्रेत है।

(2) यहां प्रयुक्त और अपरिभाषित किंतु अधिनियम में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ अधिनियम में इन्हें क्रमश: प्रदान किए गए अर्थ होंगे।

3. कुलाधिपति.—(1) कुलाधिपति की नियुक्ति कार्यकारी परिषद् द्वारा की गई सिफारिश के आधार पर कुलाध्यक्ष या उसके नामित अधिकारी द्वारा अकादमिक, विमानन, लोक प्रशासन के क्षेत्रों, या देश के सार्वजनिक जीवन के तीन प्रख्यात व्यक्तियों में से की जाएगी:

परंतु यह भी कि यदि कुलाध्यक्ष या उसके नामित अधिकारी इस प्रकार अनुशंसित किसी भी व्यक्ति को अनुमोदित नहीं करते, तो वे कार्यकारी परिषद् से नवीन सिफारिशें मांग सकते हैं।

(2) कुलाधिपति पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारित करेगा और पुन:नियुक्ति का हकदार होगा:

परंतु अपनी पदावधि की समाप्ति के होते हुए भी, कुलाधिपति अपने उत्तराधिकारी के पद धारण करने तक पद पर रहेगा।

4. कुलपति.—(1) कुलपति की नियुक्ति कुलाध्यक्ष या उसके नामित द्वारा खंड (2) के अधीन गठित एक खोज-सह-चयन समिति द्वारा अनुशंसित न्यूनतम तीन व्यक्तियों में से की जाएगी, जिन्हें विमानन शिक्षा, विमानन अनुसंधान, एयरलाइन अथवा विमानपत्तन प्रशासन, हवाईअड्डा प्रबंधन या एयरलाइनों के क्षेत्र में अनुभव प्राप्त हो:

परंतु यह भी कि यदि कुलाध्यक्ष या उसके नामित अधिकारी पेनल में शामिल किसी भी व्यक्ति को अनुमोदित नहीं करते, तो वे नवीन पेनल की मांग कर सकते हैं।

(2) खंड (1) में निर्दिष्ट समिति में पांच व्यक्ति शामिल होंगे जिनमें से तीन को कार्यकारी परिषद् द्वारा और दो को कुलाध्यक्ष या उसके नामिति द्वारा, नामित किया जाएगा और कुलाध्यक्ष के नामितियों में से एक इस समिति के संयोजक होंगे:

परंतु यह भी कि समिति के सदस्यों में से कोई भी विश्वविद्यालय या महाविद्यालय का या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्थान का कर्मचारी या विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण का सदस्य नहीं होगा।

(3) कुलपति विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(4) कुलपति अपने पद ग्रहण करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि तक, या पैसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, जो भी पहले हो, पद धारित करेगा और पुन: नियुक्ति का हकदार नहीं होगा;

परंतु यह भी कि पांच वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति होते हुए भी, वह अपने उत्तराधिकारी की नियुक्ति होने और पद ग्रहण करने तक पद धारित करता रहेगा:

आगे और यह भी कि कुलाध्यक्ष या उसके नामिति किसी कुलपति को उसकी पदावधि समाप्त होने के बाद उस अवधि, जैसा कि उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए तक पद पर बने रहने के लिए निदेश दे सकता है, जो एक वर्ष की कुल अवधि से अधिक नहीं होगी।

IndiaCode

(5) खंड (4) में अन्तर्विष्ट किसी भी बात के होते हुए भी, कुलाध्यक्ष या उसके नामिति, कुलपति द्वारा अपना पद ग्रहण करने के बाद किसी भी समय, लिखित आदेश द्वारा, अक्षमता, कदाचार या कानूनी उपबंधों के उल्लंघन के आधार पर कुलपति को पद से हटा सकते हैं:

परंतु यह भी कि कुलाध्यक्ष या उसके नामिति द्वारा ऐसा कोई आदेश तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि कुलपति को उसके विरुद्ध किए जाने के लिए प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया गया हो:

आगे और यह भी कि कुलाध्यक्ष या उसके नामिति ऐसा आदेश देने से पहले कुलाधिपति से परामर्श करेंगे:

परंतु यह भी कि कुलाध्यक्ष या उसके नामिति, ऐसा आदेश देने से पहले किसी भी समय, जांच के लंबित रहते, कुलपति को निलंबनाधीन रखेंगे।

(6) कुलपति की उपलब्धियां और अन्य सेवा शर्तें निम्नानुसार होंगी:

(i) कुलपति को केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर नियत दरों पर, गृह किराया भत्ते के अतिरिक्त, मासिक वेतन और भत्ते अदा किए जाएंगे, और वह, किराए के भुगतान के बिना, अपनी पूर्ण पदावधि के दौरान साज-सामान सहित आवास का उपयोग करने का हकदार होगा, और ऐसे आवास के अनुरक्षण के संबंध में कुलपति पर कोई प्रभार नहीं लगाया जाएगा;

(ii) कुलपति ऐसे सेवांत प्रसुविधाओं और भत्तों का हकदार होगा जैसा कि कुलाध्यक्ष या उसके नामिति के अनुमोदन से कार्यकारी परिषद् द्वारा समय समय पर नियत किया जाए:

परंतु यह भी कि जहां किसी विश्वविद्यालय, या महाविद्यालय या विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी संस्था के कर्मचारी को, या किसी अन्य विश्वविद्यालय या किसी महाविद्यालय या उस अन्य विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित या उस अन्य विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में स्वीकृत किसी महाविद्यालय या संस्था के कर्मचारी की नियुक्ति कुलपति के रूप में की जाती है, तो उन्हें उस किसी भी भविष्य निधि में अंशदान करते रहने की अनुमति दी जाएगी जिसका वह सदस्य है और विश्वविद्यालय ऐसे व्यक्ति के खाते में उस भविष्य निधि में उसी दर से अंशदान करता रहेगा जिस पर वह व्यक्ति कुलपति के रूप में अपनी नियुक्ति से तुरंत पहले अंशदान करता रहा हो:

आगे यह भी कि जहां ऐसा कर्मचारी किसी पेंशन योजना का सदस्य रहा हो, वहां विश्वविद्यालय ऐसी योजना में आवश्यक अंशदान करेगा;

(iii) कुलपति ऐसी दर पर यात्रा भत्ते का हकदार होगा जैसा कि कार्यकारी परिषद् द्वारा निर्धारित की जा सकती है;

(iv) कुलपति एक कलेंडर वर्ष में तीस दिन की दर से पूर्ण वेतन पर छुट्टी का हकदार होगा और यह छुट्टी उनके खाते में पहली जनवरी और पहली जुलाई को पंद्रह दिन प्रत्येक की दो अर्धवार्षिक किश्तों में अग्रिम रूप से डाली जाएगी:

परंतु यह भी कि यदि कुलपति छमाही के जारी रहने के दौरान कुलपति का पद धारित या पदत्याग करता है, तो छुट्टी सेवा के प्रत्येक पूर्ण माह के लिए ढाई दिन की दर से आनुपातिक रूप से खाते में डाली जाएगी;

(v) उप-खंड (iv) में निर्दिष्ट छुट्टी के अतिरिक्त, कुलपति सेवा के प्रत्येक पूर्ण वर्ष के लिए बीस दिन की दर से अर्ध वेतन छुट्टी का भी हकदार होगा और इस अर्ध वेतन छुट्टी को भी चिकित्सा प्रमाणपत्र पर पूर्ण वेतन पर परिवर्तित छुट्टी के रूप में प्राप्त किया जा सकता है और जब परिवर्तित छुट्टी प्राप्त की जाती है, तो अर्ध वेतन छुट्टी की दुगनी मात्रा देय अर्ध वेतन छुट्टी के सापेक्ष डाली जाएगी।

(7) यदि कुलपति का पद मृत्यु, त्यागपत्र की वजह से या अन्यथा रिक्त हो जाता है, या वह खराब स्वास्थ्य की वजह से या किसी अन्य कारणवश अपने कर्तव्य को निष्पादित करने में विफल रहता है, तो नए कुलपति के पद ग्रहण करने तक या मौजूदा कुलपति के अपने कार्यालय में कार्यग्रहण करने के लिए उपस्थित होने तक, जैसा भी मामला हो, ज्येष्ठतम प्राचार्य कुलपति के कर्तव्यों का निष्पादन करेगा।

5. कुलपति की शक्तियां और कर्तव्य.—(1) कुलपति कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद्, संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड, और वित्त समिति का *पदेन* अध्यक्ष होगा, और कुलाधिपति की अनुपस्थिति में, डिग्रियां प्रदान किए जाने के लिए आयोजित समारोहों और न्यायालय की सुनवाइयों में अध्यक्षता करेगा।

(2) कुलपति विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या किसी अन्य निकाय की किसी भी बैठक में उपस्थित होने, और उसे सम्बोधित करने का हकदार होगा, किंतु वहां मतदान करने का हकदार नहीं होगा जब तक कि वह ऐसे प्राधिकरण या निकाय का सदस्य न हो।

(3) यह देखना कुलपति का कर्तव्य होगा कि इस अधिनियम, परिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का विधिवत पालन हो, और उसके पास ऐसे अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी।

(4) कुलपति विश्वविद्यालय के मामलों पर नियंत्रण रखेगा और वह विश्वविद्यालय के सभी प्राधिकरणों के विनिश्चयों को लागू करेगा।

(5) कुलपति के पास विश्वविद्यालय में अनुशासन के उपयुक्त अनुरक्षण के लिए आवश्यक सभी शक्तियां होंगी और वह ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों को ऐसी कोई भी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है जैसा वह उचित समझे।

(6) कुलपति के पास कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद्, सम्बद्धता एवं मान्यता बोर्ड और वित्त समिति की बैठक संयोजित करने या संयोजित करवाने की शक्ति होगी।

(7) कुलपति के पास कार्यकारी परिषद् के अनुमोदन से, छह मास की अवधि के लिए ऐसे व्यक्तियों की अल्पकालिक नियुक्ति करने की शक्ति होगी जैसा वह विश्वविद्यालय के कामकाज के लिए आवश्यक समझे।

6. स्कूलों के डीन.—(1) स्कूल के प्रत्येक डीन की नियुक्ति कुलपति द्वारा तीन वर्ष की अवधि के लिए चक्रानुक्रम में स्कूल के प्रोफेसरों में से की जाएगी:

परंतु यह भी कि यदि किसी स्कूल का केवल एक प्राचार्य हो या कोई प्राचार्य न हो, तो उस समय के लिए डीन की नियुक्ति स्कूल के प्रोफेसर, यदि कोई हो, और एसोशिएट प्रोफेसरों में से की जाएगी:

परंतु आगे यह भी कि डीन की आयु पैंसठ वर्ष होने पर उसकी इस प्रकार पदधारिता समाप्त हो जाएगी।

(2) जब डीन का पद रिक्त हो या जब बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से डीन अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ हो, तो उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे कुलपति द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त किया जाए।

(3) डीन स्कूल का प्रमुख होगा और स्कूल में शिक्षण और अनुसंधान के मानकों के आचरण और अनुरक्षण के लिए उत्तरदायी होगा और उसके ऐसे अन्य कार्य होंगे जैसा कि अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाए।

(4) डीन को स्कूल के स्कूल बोर्ड या समितियों, जैसा भी मामला हो, की किसी भी बैठक में उपस्थित रहने और बोलने का अधिकार होगा, किंतु उस बैठक में मतदान का अधिकार नहीं होगा जब तक कि वह उसका सदस्य न हो।

7. रजिस्ट्रार.—(1) रजिस्ट्रार की नियुक्ति इस प्रयोजनार्थ गठित चयन समिति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद् द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक वैतनिक अधिकारी होगा।

(2) रजिस्ट्रार की नियुक्ति पांच वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुन: नियुक्ति का हकदार होगा।

India Code

(3) रजिस्ट्रार की उपलब्धियों और सेवा की अन्य शर्तों और निबंधनों को अध्यादेशों में निर्धारित किया जाएगा और इन्हें समय समय पर कार्यकारी परिषद् द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा:

परंतु यह भी कि रजिस्ट्रार बासठ वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्त हो जाएगा।

(4) जब रजिस्ट्रार का पद रिक्त हो अथवा जब रजिस्ट्रार अस्वस्थता, अनुपस्थिति के कारण या किसी अन्य कारणवश अपने पद के कर्तव्यों के निर्वहन में अक्षम रहता है, तो उस पद के कर्तव्यों का निर्वहन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जिसे इस प्रयोजनार्थ कुलपति द्वारा नियुक्त किया जाए।

(5) (*क*) रजिस्ट्रार के पास, अध्यापकों और अकादमिक कर्मचारियों को छोड़कर, कार्यकारी परिषद के आदेश में दिए गए विनिर्देश के अनुसार ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने, जांच के लंबित रहते उन्हें निलंबित करने, उन्हें चेतावनी देने या उन पर दोष आरोपित करने या वेतनवृद्धि रोकने की शक्ति होगी;

परंतु यह भी कि ऐसी कोई शास्ति तब तक नहीं लगाई जाएगी जब तक कि संबंधित व्यक्ति को इस संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध कारण बताने का युक्तियुक्त अवसर न दिया जा चुका हो।

(*ख*) उप-खंड (क) में विनिर्दिष्ट किसी भी शास्ति को लगाने के लिए रजिस्ट्रार के किसी भी आदेश के विरुद्ध कुलपति के पास अपील की जा सकेगी।

(*ग*) यदि जांच से यह खुलासा होता है कि रजिस्ट्रार की शक्ति के बाहर कार्रवाई की आवश्यकता है, तो जांच समाप्त होने पर, रजिस्ट्रार अपनी सिफारिश के साथ-साथ कुलपति को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा:

परंतु यह भी कि कोई भी शास्ति लगाने के कुलपति के आदेश के विरुद्ध कार्यकारी परिषद् के पास अपील की जा सकेगी।

(6) कार्यकारी परिषद् रजिस्ट्रार को निम्नलिखित क्षमताओं में से एक या इससे अधिक में *पदेन* कार्य करने के लिए पदाभिहित कर सकती है-

(i) न्यायालय में सदस्य सचिव;

(ii) कार्यकारी परिषद् के सचिव;

(iii) अकादमिक परिषद् के सचिव;

(iv) संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड के सचिव।

(7) संबंधित प्राधिकरण के संबंध में इस प्रकार नामित रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा-

(*क*) विश्वविद्यालय के अभिलेखों, सामान्य मुहर और ऐसी अन्य सम्पत्ति का अभिरक्षक बनना जैसा कि कार्यकारी परिषद् उनके प्रभार में रखे;

(*ख*) न्यायालय, कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद, संबद्धता तथा मान्यता बोर्ड और इनके द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की बैठकों के आयोजन संबंधी सभी नोटिस जारी करना;

(*ग*) न्यायालय, कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद, संबद्ध बोर्ड तथा मान्यता इनके द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की सभी बैठकों के कार्यवृत्त रखना;

(*घ*) न्यायालय, कार्यकारी परिषद, शैक्षिक परिषद और संबद्धता तथा मान्यता बोर्ड के कार्यालयीन पत्राचार का संचालन करना;

(ङ) अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की व्यवस्था करना तथा उनका अधीक्षण करना;

(च) जारी होते ही विश्वविद्यालय के प्राधिकारियों की बैठकों की कार्यसूची की प्रतियां और ऐसी बैठकों के कार्यवृत्तों की प्रतियां कुलाध्यक्ष या उसके नामिती को उपलब्ध कराना;

(छ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध वादों या कार्यवहियों में, विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, पावर ऑफ एटार्नी पर हस्ताक्षर करना या इन प्रयोजनों के लिए अभिलेखों का सत्यापन करना या अपने प्रतिनिधि को नियुक्त करना;

(ज) परिनियमों, अध्यादेशों या विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुसार या कार्यकारी परिषद या कुलपति द्वारा समय-समय पर यथा अपेक्षित ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करना।

8. वित्त अधिकारी: (1) वित्त अधिकारी की नियुक्ति इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालीन वेतन भोगी अधिकारी होता है।

(2) वित्त अधिकारी की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह एक और समयावधि के लिए पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) वित्त अधिकारी की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, कार्यकारी परिषद द्वारा समय-समय पर विर्निदिष्ट की जा सकेगी:

परंतु यह भी कि वित्त अधिकारी 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा।

(4) जब वित्त अधिकारी का पद रिक्त हो या जब वित्त अधिकारी बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के कर्तव्यों के पालन करने में असमर्थ होता है तो उस पद के कर्तव्यों का पालन कुलपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(5) वित्त अधिकारी वित्त समिति का पदेन सचिव होगा, किंतु वह ऐसी समिति का सदस्य नहीं माना जाएगा।

(6) वित्त अधिकारी-

(क) विश्वविद्यालय की निधियों का साधारण पर्यवेक्षण करेगा और अपनी वित्तीय नीति के सम्बंध में सलाह देगा;

(ख) ऐसे अन्य वित्तीय कार्यों का पालन करेगा जो उसे कार्यकारी परिषद द्वारा सौंपे गए हो या परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हों:

परंतु यह भी कि वित्त अधिकारी कार्यकारी परिषद के पूर्व अनुमोदन के बिना एक लाख रुपए से अधिक का कोई व्यय या कोई निवेश नहीं करेगा।

(7) कार्यकारी परिषद के नियंत्रण के अध्यधीन, वित्त अधिकारी-

(क) ट्रस्ट तथा पृष्ठांकित संपत्ति सहित विश्वविद्यालय की परिसंपत्ति और निवेशों पर नियंत्रण रखेगा और उनका प्रबंधन करेगा;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि वर्ष के लिए आवर्ती तथा गैर आवर्ती व्यय कार्यकारी परिषद द्वारा निर्धारित सीमा से अधिक न किया जाए और कि सभी धनराशियों को उन्हीं प्रयोजनों के लिए व्यय किया जाए जिनके लिए वे प्रदान या आवंटित की गई हैं;

(ग) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखों तथा बजट को तैयार करने और वित्त समिति द्वारा इन पर विचार किए जाने के पश्चात इन्हें कार्यकारी परिषद के समक्ष प्रस्तुत किए जाने के लिए उत्तरदायी होगा;

(घ) रोकड़ तथा शेष राशियों और निवेशों की स्थिति पर निरंतर निगरानी रखेगा ;

(ङ) राजस्व के एकत्रण कार्य की प्रगति पर निगरानी रखेगा और एकत्रण के लिए प्रयोग की जाने वाली रीतियों पर सलाह देगा;

(*च*) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित सभी कार्यालयों, स्कूलों, विशेष केन्द्रों, विशिष्ट प्रयोगशालाओं, कॉलेजों तथा संस्थाओं में भवनों, भूमि, फर्नीचर तथा उपस्कर के रजिस्टरों का अद्यतन रूप से अनुरक्षण करेगा और उपस्कर तथा अन्य उपभोज्य सामग्रियों की स्टाक चेकिंग को सुनिश्चित करेगा;

(*छ*) अप्राधिकृत व्यय या किसी भी अन्य वित्तीय अनियमितता की सूचना कुलपति को देगा और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई का सुझाव देगा; और

(*ज*) अपने दायित्वों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझी जाने वाली किसी सूचना को विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित किसी कार्यालय, स्कूल, केन्द्र, प्रयोगशाला या संस्थाओं से मंगवाएगा।

(8) विश्वविद्यालय को देय किसी भी राशि के लिए वित्त अधिकारी या कार्यकारी परिषद द्वारा उसकी ओर से विधिवत रूप से प्राधिकृत या व्यक्ति या व्यक्तियों द्वारा दी गई किसी भी रसीद को ऐसी राशि के संदाय के लिए पर्याप्त रूप से भुगतान किया जाएगा।

9. परीक्षा नियंत्रक.—(1) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालीन वेतनभोगी अधिकारी होगा।

(2) परीक्षा नियंत्रक की नियुक्ति 5 वर्ष की अवधि के लिए की जाएगी और वह पुन: नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

(3) परीक्षा नियंत्रक की उपलब्धियां तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें, कार्यपालक परिषद द्वारा समय-समय पर विर्निदिष्ट अनुसार होंगी:

परंतु यह कि 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त होगा।

(4) जब परीक्षा नियंत्रक का पद रिक्त होगा या जब परीक्षा नियंत्रक बीमारी, अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने पद के दायित्वों के निर्वहन में असमर्थ होता है तो उस पद के दायित्वों का निर्वहन कुलपति द्वारा इस प्रयोजन के लिए नियुक्त किसी व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।

(5) परीक्षा नियंत्रक अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट रीति से विश्वविद्यालय की परीक्षाओं की व्यवस्था और अधीक्षण करेगा ।

10. कुलानुशासक (प्रॉक्टर).—(1) प्रत्येक कुलानुशासक की नियुक्ति कुलपति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और वह कुलपति द्वारा उसे सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा तथा ऐसे दायित्वों का पालन करेगा।

(2) प्रत्येक कुलानुशासक का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा और वह पुन:नियुक्ति के लिए पात्र होगा।

11. पुस्तकाध्यक्ष (लाइब्रेरियन).—(1) पुस्तकाध्यक्ष की नियुक्ति इस प्रयोजन हेतु गठित चयन समिति की सिफारिशों पर कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और वह विश्वविद्यालय का पूर्णकालीन वेतन भोगी अधिकारी होगा।

(2) पुस्तकालयाध्यक्ष कार्यपालक परिषद द्वारा उसे प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग और दायित्वों का निष्पादन करेगा।

12. वार्डेन.—(1) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित हॉल के मामले में वार्डेन की नियुक्ति कार्यकारी परिषद द्वारा की जाएगी और अन्य मामलों में यह नियुक्ति कार्यकारी परिषद के अनुमोदन के अध्यधीन की जाएगी।

(2) वार्डेन का कार्यकाल 2 वर्ष का होगा।

13. कार्यकारी परिषद की सदस्यता, गठन, गणपूर्ति तथा कार्यकाल।

(1) कार्यकारी परिषद में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(*क*) कुलपति, जो पदेन अध्यक्ष होंगे;

(*ख*) सचिव, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर तक के अधिकारी, पदेन सदस्य होंगे;

(*ग*) महानिदेशक, नागर विमानन या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर तक के अधिकारी, पदेन सदस्य होंगे;

(*घ*) वित्त सलाहकार, नागर विमानन मंत्रालय, भारत सरकार या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर तक के अधिकारी, पदेन सदस्य होंगे;

(*ङ*) केन्द्रीय सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय से संयुक्त सचिव से अन्यून स्तर तक के अधिकारी पदेन सदस्य होगा;

(*च*) सुरक्षा आयुक्त (नागर विमानन), नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट अपर आयुक्त से अन्यून स्तर तक के अधिकारी, पदेन सदस्य होंगे;

(*छ*) एयरलाइन प्रचालकों के एक प्रतिनिधि को सरकार द्वारा सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(*ज*) विमानपत्तन प्रचालकों के एक प्रतिनिधि को सरकार द्वारा सदस्य नामनिर्दिष्ट किया जाएगा;

(*झ*) ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम में कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक डीन ऑफ स्कूल सदस्य होंगे;

(*ञ*) मालभाड़ा/विमान कार्गो प्रचालक संघ द्वारा नामनिर्दिष्ट मुख्य कार्यपालक अधिकारी स्तर का एक सदस्य परिषद का एक सदस्य होगा;

(*ट*) भारत में प्रचालनरत अनुरक्षण, मरम्मत तथा ओवरहॉल इकाइयों द्वारा नामनिर्दिष्ट एक सदस्य;

(*ठ*) अंतर्राष्ट्रीय विमान परिवहन संघ का एक प्रतिनिधि परिषद का सदस्य होगा;

(*ड*) कुलपति की सिफारिशों के आधार पर कम से कम छः व्यक्तियों के पैनल में से कुलाध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट या विमानन शिक्षण, उद्योग, विज्ञान या प्रौद्योगिकी तथा अन्य संबंधित विषयों के संबंध में विशिष्ट ज्ञान या प्रायोगिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से एक सदस्य को नामनिर्दिष्ट किया जाएगा। किसी भी रिक्त पद के होने पर उस पद को दो नामनिर्दिष्ट सदस्य के पैनल से प्रतिस्थापित किया जाएगा;

(*ढ*) किसी तकनीकी विश्वविद्यालय का एक वर्तमान या भूतपूर्व कुलपति; और

(*ण*) राज्य सरकार का एक प्रतिनिधि, जहां विश्वविद्यालय स्थित है, पदेन सदस्य;

(*त*) कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण संस्थानों अथवा संबद्ध कॉलेजों का एक प्रतिनिधि जो सदस्य होगा।

(2) रजिस्ट्रार कार्यकारी परिषद का पदेन सचिव होगा।

(3) कार्यकारी परिषद के 9 सदस्य कार्यकारी परिषद की बैठक के लिए गणपूर्ति का निर्माण करेंगे।

(4) पदेन सदस्यों से भिन्न कार्यकारी परिषद के सदस्यों का कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

(5) एक वर्ष में कार्यकारी परिषद की कम से कम चार बैठकें होंगी और बैठक में अनुसरण किए जाने के लिए काम-काज के संचालन हेतु प्रक्रिया के नियम तथा बैठक से संबंधित ऐसे अन्य मुद्दे जो आवश्यक समझे जाएं परिनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार होंगे।

14. कार्यकारी परिषद की शक्तियां एवं कार्य.—(1) कार्यकारी परिषद को राजस्व तथा विश्वविद्यालय की संपत्ति के प्रबंधन एवं प्रशासन और विश्वविद्यालय के सभी प्रशासनिक कार्यों के निष्पादन की शक्तियां प्राप्त होंगी, जिनके लिए अन्यथा उपबंध न किया जाए।

(2) इस अधिनियम, परिनियमों तथा अध्यादशों के उपबंधों के अध्यधीन कार्यकारी परिषद को उसमें निहित शक्तियों के अतिरिक्त निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त होंगी, यथा:

(i) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेजों तथा संस्थाओं के अध्यक्ष सहित शिक्षण तथा शैक्षिक पदों का सृजन करना, ऐसे पदों की संख्या तथा उपलब्धियों का अवधारण, प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों तथा अन्य शैक्षिक स्टाफ और प्रधानाचार्यों के कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करना:

परंतु यह भी कि शैक्षिक परिषद की सिफारिशों पर विचार करने के पश्चात शिक्षकों तथा शैक्षिक स्टाफ की संख्या तथा अर्हताओं के संबंध में कार्यकारी परिषद द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी;

(ii) ऐसे प्रोफेसरों, एसोसिएट प्रोफेसरों, सहायक प्रोफेसरों, तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृन्दों की नियुक्ति तथा अस्थायी रिक्तियों को भरने के प्रयोजन से गठित चयन समिति की सिफारिशों पर विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कॉलेजों तथा संगठनों के प्रधानाचार्यों द्वारा यथा आवश्यक ऐसी नियुक्तियां करना;

(iii) प्रशासनिक, मंत्रालयी तथा अन्य आवश्यक पदों का सृजन करने और उनके कर्तव्यों और सेवा शर्तों को परिभाषित करने और अध्यादेश में विनिर्दिष्ट रीति में ऐसी नियुक्तियां करने हेतु;

(iv) कुलाधिपति या कुलपति से भिन्न विश्वविद्यालय के किसी अधिकारी को छुट्टी की अनुमति प्रदान करना, और उस अधिकारी की अनुपस्थिति के दौरान उसके कार्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं करना;

(v) परिनियमों और अध्यादेशों के अनुसार कर्मचारियों में अनुशासन विनियमित तथा प्रवृत करानाः

(vi) विश्वविद्यालय को वित्त, लेखों, निवेश, संपत्ति, व्यवसाय तथा अन्य सभी प्रशासनिक कार्यों के प्रबंधन तथा विनियमन हेतु तथा इस प्रयोजन के लिए ऐसे एजेंटों को नियुक्त करना, जैसा कि उपयुक्त समझा जाए;

(vii) वित्त समिति की सिफारिशों पर वर्ष के लिए कुल आवर्ती व्यय तथा कुल गैर आवर्ती व्यय की सीमा निर्धारित करना;

(viii) उपयुक्त समझे जाने के अनुसार, समय-समय पर स्टाकों, निधियों, शेयर या प्रतिभूतियों में किसी गैर आवेदित आय सहित विश्वविद्यालय की किसी धनराशि का निवेश करना या समय-समय पर ऐसे निवेशों में भिन्नता लाने की शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत में स्थावर संपत्ति का क्रय करना;

(ix) विश्वविद्यालय की ओर से किसी जंगम या स्थावर संपत्ति को हस्तांतरित करना या हस्तांतरण स्वीकार करना;

(x) विश्वविद्यालय के कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक भवनों, परिसरों, फर्नीचर तथा उपकरणों और अन्य साधनों को उपलब्ध करना;

(xi) विश्वविद्यालय की ओर से संविदाएं करना, परिवर्तन करना, निष्पादित करना तथा उन्हें रद्द करना;

(xii) विश्वविद्यालय के कर्मचारियों तथा विद्यार्थियों की किन्ही शिकायतों पर कार्रवाई करना, उस पर निर्णय देना तथा यदि उपयुक्त समझा जाए तो उनका निवारण करना;

(xiii) शैक्षिक परिषद के परामर्श के पश्चात परीक्षकों तथा माडेरेटरों की नियुक्ति करना और, यदि आवश्यक हो, तो उन्हें हटाना तथा उनके शुल्क, उपलब्धियां तथा यात्रा और अन्य भत्तों का निर्धारण करना;

(xiv) विश्वविद्यालय के लिए एक समान मोहर का चयन करना तथा इस मोहर को संभाल कर रखने व इसके प्रयोग के लिए इसे उपलब्ध कराना;

(xv) महिला विद्यार्थियों के आवास तथा सुरक्षा के लिए यथा आवश्यक विशेष व्यवस्थाएं करना;

(xvi) फैलोशिप, स्कॉलरशिप, स्टूडेंटशिप, असिस्टेंटशिप मैडल तथा पुरस्कारों की स्थापना करना;

(xvii) विजिटिंग प्रोफेसरों, सेवामुक्त प्रोफेसरों, परामर्शदाताओं तथा स्कॉलरों की नियुक्ति की व्यवस्था करना तथा उनकी नियुक्ति से संबंधित निबंधनों एवं शर्तों का अवधारण करना;

(xviii) ज्ञान वर्धन के लिए उद्योग एवं गैर सरकारी एजेंसियों के साथ भागीदारी करना तथा ऐसी भागीदारी से प्राप्त लाभों में से समग्र निधि स्थापित करना; तथा

(xix) किसी विदेशी विश्वविद्यालय अथवा विमानन सेक्टर के किसी प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के साथ कार्यक्रमों के विनिमय इत्यादि के लिए सहयोग कार्य प्रचलित विनियमों के अध्यधीन करना;

(xx) विमानन महाविद्यालयों की मान्यता के लिए नियम तथा विनियम तैयार करना और उपबंध बनाना;

(xxi) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करना तथा ऐसे अन्य कर्त्तव्यों का निर्वाह करना जिनके लिए अधिनियम अथवा परिनियमों के माध्यम से शक्तियां प्रदत्त की गई हों।

15. न्यायालय की बैठकें.—(1) न्यायालय की वार्षिक बैठक के आयोजन के लिए यदि किसी वर्ष के लिए न्यायालय द्वारा कि तारीख का निर्धारण नहीं किया गया है तो इस बैठक के लिए तारीख का निर्धारण कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाएगा।

(2) वार्षिक लेखों की प्रति के साथ पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान विश्वविद्यालय के क्रियाकलाप की रिपोर्ट न्यायालय की वार्षिक बैठक में रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

(3) वार्षिक बैठक के आयोजन की तारिख से कम से कम सात दिन पूर्व न्यायालय के प्रत्येक सदस्य को वार्षिक लेखों तथा वार्षिक रिपोर्ट की प्रति भेजी जाएगी।

(4) न्यायालय के एक तिहाई सदस्यों की उपस्थिति से न्यायालय की बैठक की गणपूर्ति पूरी हो सकेगा।

(5) न्यायालय की विशेष बैठक का आयोजन कुलपति द्वारा किया जा सकेगा।

(6) न्यायालय में निम्नलिखित सदस्य होंगे अर्थात्:-

(i) कुलपति;

(ii) विद्यालय के डीन;

(iii) विद्यार्थी कल्याण के डीन;

(iv) रजिस्ट्रार;

(v) कुलानुशासक;

(vi) वित्त अधिकारी;

(vii) ऐसे सभी प्रोफेसर जो शिक्षण विभागों के प्रमुख नहीं हैं;

(viii) ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम आधार पर कुलपति द्वारा नियुक्त ऐसे दो रीडर जो शिक्षण विभागों के अध्यक्ष नहीं हैं;

(ix) ज्येष्ठता के आधार पर कुलपति द्वारा चक्रानुक्रम में नियुक्त किए जाने वाले दो व्याख्याता;

IndiaCode

(x) गैर-शिक्षण कर्मचारियों में से कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य;

(xi) संबद्ध संस्थाओं से एक प्रतिनिधि, जो कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट संस्था का प्रधान होगा;

(xii) विद्यार्थी परिषद में से दो सदस्य;

(xiii) कुलाध्यक्ष अथवा उनके नामिती द्वारा नामनिर्दिष्ट विमानन उद्योग का प्रतिनिधित्व करने वाले पांच व्यक्ति;

(xiv) उस प्रत्येक राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश से राज्य अथवा संघ शासित प्रदेश द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि सदस्य जहां विश्वविद्यालय का मुख्यालय अथवा कैम्पस स्थापित है।

(7) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त न्यायालय के सभी सदस्यों के पद के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी।

16. सदस्यता, संविधान, कोरम तथा शैक्षिक परिषद का कार्यकाल।

(1) शैक्षिक परिषद में निम्नलिखित सदस्य शामिल होगें अर्थात्:-

(*क*) कुलपति, जो इसके पदेन अध्यक्ष होगें;

(*ख*) शिक्षण विद्यालयों के डीन;

(*ग*) विश्वविद्यालय द्वारा अनुरक्षित कैम्पस के सभी निदेशक;

(*घ*) विश्वविद्यालय के शिक्षण विभागों के सभी अध्यक्ष;

(*ङ*) कुलपति द्वारा ज्येष्ठता के आधार पर चक्रानुक्रम द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के प्रत्येक शिक्षण विभाग से एक प्रोफेसर; तथा

(*च*) कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट विमानन शिक्षा, अनुसंधान एवं सम्बद्ध विषयों के क्षेत्र के तीन प्रतिष्ठित विशेषज्ञ;

(*छ*) नागर विमानन महानिदेशालय तथा नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो प्रत्येक से नामनिर्दिष्ट एक अधिकारी जो कि संयुक्त सचिव के पद से कम न हो;

(*ज*) राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त कॉलेजों, यदि कोई हों, से दो प्रधानाचार्य।

(2) रजिस्ट्रार शैक्षिक परिषद के पदेन सचिव होगें परन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

(3) किसी बैठक के लिए शैक्षिक परिषद के सात सदस्यों की उपस्थिति से शैक्षिक परिषद की गणपूर्ति पूरी होगी।

(4) पदेन सदस्यों के अलावा शैक्षिक परिषद के सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी।

(5) शैक्षिक परिषद की बैठकें वर्ष में कम से कम दो बार आयोजित की जाएंगी।

17.शैक्षिक परिषद को प्रदत्त शक्तियां। अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के अध्यधीन शैक्षिक परिषद को प्रदत्त की गई अन्य सभी शक्तियों के अतिरिक्त नीचे उल्लिखित शक्तियां प्राप्त होगीं अर्थात्:-

(*क*) विश्वविद्यालय की शैक्षिक नीतियों का साधारण पर्यवेक्षण करना तथा अनुदेशों की रीति, सहकारी शिक्षण, अनुसंधानों के मूल्यांकन अथवा शैक्षिक मानकों में सुधार के संबंध में निदेश जारी करना;

IndiaCode

(*ख*) अंतर विद्यालय आधार पर परियोजनाओं को प्रारम्भ करने के लिए अंतर विद्यालयों के मध्य समन्वय स्थापित करना, समितियों अथवा बोर्डों की स्थापना अथवा नियुक्ति करना;

(*ग*) साधारण शैक्षिक हित से संबंधित मामलों पर स्वयं प्रयास के रूप में अथवा किसी विद्यालय अथवा कार्यकारी परिषद से संदर्भ प्राप्ति पर विचार करना तथा उसके संबंध में समुचित कार्रवाई करना;

(*घ*) विश्वविद्यालय, विद्याशाखा, आवास, प्रवेश, अध्येतावृत्ति, सहायक वृत्ति, अनुसंधान सहायक वृत्ति तथा छात्रवृत्ति अवार्ड करना, फीस, रियायतें, निगमित लाईफ एवं उपस्थिति के लिए कानून तथा अध्यादेश से सुसंगत विनियमों एवं नियमों का निर्माण करना;

(*ङ*) कार्यकारी परिषद को अध्यापकों एवं अन्य शैक्षिक कर्मचारियों की संख्या एवं अर्हता के संबंध में सिफारिश करना;

(*च*) कार्यकारी परिषद को मानद डिग्रियां प्रदान किए जाने के लिए व्यक्तियों की सिफारिश करना;

(*छ*) कार्यकारी परिषद को परीक्षक तथा अनुसीमक के लिए सिफारिश प्रदान करना; तथा

(*ज*) कार्यकारी परिषद को पीठ आचार्य पदों की स्थापना के लिए सिफारिश करना।

18. सम्बद्धता एवं मान्यता प्रदान करने के लिए बोर्ड.—(1) सम्बद्धता एवं मान्यता प्रदान करने वाला बोर्ड कुलपति तथा कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट अधिकतम सात सदस्यों से मिलकर बनेगा।

(2) सम्बद्धता एवं मान्यता प्रदान करने वाले बोर्ड में कुलपति के अतिरिक्त अन्य सदस्यों का कार्यकाल उनके बोर्ड के सदस्य बनने की तारीख से तीन वर्ष के लिए होगा।

(3) सम्बद्धता एवं मान्यता प्रदान करने वाले बोर्ड के चार सदस्यों की उपस्थिति होने से बोर्ड की बैठक आयोजित किए जाने के उद्देश्य से गणपूर्ति को पूरा माना जाएगा।

(4) रजिस्ट्रार बोर्ड के पदेन सचिव होंगे।

(5) मान्यता एवं सम्बद्धता से संबंधित प्रस्तावों पर विचार किए जाने की प्रक्रिया अध्यादेश में किए गए विनिर्देशन के अनुसार होगी।

19. अध्ययन हेतु विद्यालय.—(1) विश्वविद्यालय के लिए अध्ययन विद्यालय अध्यादेश में किए गए विनिर्देशन के अनुसार होगें।

(2) प्रत्येक विद्यालय का अपना एक विद्यालय बोर्ड होगा तथा पहले विद्यालय बोर्ड के लिए सदस्यों का नामांकन कार्यकारी परिषद द्वारा किया जाएगा तथा उनके कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी।

(3) किसी विद्यालय बोर्ड की संरचना, शक्तियां तथा कृत्य अध्यादेश में किए गए विनिर्देशन के अनुसार होगें।

(4) किसी विद्यालय बोर्ड की बैठकों का संचालन तथा उसकी बैठकों के लिए अपेक्षित गणपूर्ति अध्यादेश में किए गए विनिर्देशन के अनुसार होगा।

20. वित्त समिति.—(1) वित्त समिति में निम्नलिखित सदस्य शामिल होगें अर्थात्:-

(i) कुलपति;

(ii) नागर विमानन मंत्रालय के वित्तीय सलाहकार अथवा उनके नामनिर्देशिती;

(iii) न्यायालय द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति;

(iv) कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट पांच व्यक्ति जिनमें से कम से कम एक सदस्य कार्यकारी परिषद का सदस्य हो; तथा

(v) वित्त अधिकारी, वित्तीय समिति का पदेन सचिव होगा और वह समिति का सदस्य नहीं होगा।

(2) वित्त समिति के पांच सदस्यों की उपस्थिति से वित्त समिति की किसी बैठक की गणपूर्ति पूरी हो सकेगी।

(3) पदेन सदस्यों के अतिरिक्त वित्त समिति के सभी सदस्यों के कार्यकाल की अवधि तीन वर्ष होगी।

(4) वित्त समिति के प्रत्येक सदस्य को वित्त समिति की किसी बैठक में लिए गए विनिश्चय से असहमति होने की स्थिति में अपनी असहमति को कार्यवृत्त में शामिल करने का अधिकार प्राप्त होगा।

(5) लेखा तथा व्यय के प्रस्तावों की संवीक्षा के लिए वित्त समिति की बैठकें वर्ष में कम से कम तीन बार आयोजित की जाएंगीं।

(6) पदों के सृजन तथा बजट में शामिल न की गई मदों के प्रस्ताव वित्त समिति द्वारा जांच किए जाने के पश्चात ही कार्यकारी परिषद में विचार के लिए प्रस्तुत किए जा सकेंगे ।

(7) विश्वविद्यालय के वार्षिक लेखा तथा वित्तीय प्राक्कलन वित्त अधिकारी द्वारा तैयार किए जाएंगे तथा इन्हें वित्त समिति के सम्मुख विचार एवं टिप्पणियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा तथा इसके पश्चात् इसे कार्यकारी समिति के सम्मुख अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(8) वित्त समिति द्वारा विश्वविद्यालय की आय और संसाधनों के आधार पर वर्ष के दौरान आवर्ती खर्चों एवं कुल गैर आवर्ती खर्चों के लिए सीमा की सिफारिश की जा सकेगी.—(जिसमें उत्पादक कार्यों के मामले में ऋण अग्रिम भी शामिल हो सकते हैं)

21. चयन समिति.—(1) प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर, रजिस्ट्रार, वित्त अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक एवं पुस्तकालयाध्यक्ष के पदों पर नियुक्ति के लिए कार्यकारी परिषद को सिफारिश प्रदान किए जाने के लिए चयन समिति का गठन किया जाएगा।

(2) नीचे दी गई तालिका के स्तंभ 1 में विनिर्दिष्ट पदों पर नियुक्ति के लिए गठित की जाने वाली चयन समिति में कुलपति सहित उक्त तालिका के स्तंभ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्ट व्यक्ति शामिल होगें:

तालिका

1	2
प्रोफेसर	(i) डीन ऑफ स्कूल; (ii) विभागाध्यक्ष, यदि वे प्रोफेसर हों तो; (iii) तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों, संबंधित प्रोफेसर को उनके विशिष्ट ज्ञान, या रुचि, के लिए अकादमी परिषद द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से, कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट ।
ऐसोसीएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर	(i) विभागाध्यक्ष; (ii) उप-कुलपति द्वारा नामित एक व्यक्ति; (iii) दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों, संबंधित ऐसोसीएट प्रोफेसर या सहायक प्रोफेसर को उनके विशिष्ट ज्ञान, या रुचि, के लिए अकादमी परिषद द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से, कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट।

रीडर या व्याख्याता	(i) संबंधित विभागाध्यक्ष; (ii) उप-कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति; (iii) दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों, संबंधित रीडर या व्याख्याता को उनके विशिष्ट ज्ञान, या रुचि, के लिए अकादमी परिषद द्वारा सिफारिश किए गए नामों के पैनल में से, कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट।
रजिस्ट्रार या वित्त अधिकारी या परीक्षाओं के नियंत्रक	(i) कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट दो सदस्य; (ii) कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो
पुस्तकालाध्यक्ष	(i) कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट दो व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हैं, जिनके पास पुस्तकालय विज्ञान या पुस्तकालय प्रशासन विषय का विशिष्ट ज्ञान है; (ii) कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में न हो।
डीन ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीस	तीन व्यक्ति जो विश्वविद्यालय की सेवा में नहीं हों, जिसमें से दो को कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा तथा एक को स्कूल ऑफ स्टडीस द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे विषय जिसमें पढ़ाया जा रहा हो में उनके विशिष्ट ज्ञान, या रुचि, के लिए अकादमी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किया गया हो।

टिप्पण-1 : *जहां अंतर-अनुशासनिक परियोजना के लिए नियुक्ति की जा रही है, परियोजना प्रमुख को संबंधित विभाग का प्रमुख माना जाएगा।*

2. कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट प्रोफेसर उस विशेषज्ञता से संबंधित प्रोफेसर होगा जिसके लिए चयन किया जा रहा है, तथा कुलपति प्रोफेसर को नामनिर्दिष्ट करने से पूर्व विभागाध्यक्ष एवं स्कूल डीन से परामर्श करेंगे।

(3) कुलपति, या फिर उसकी अनुपस्थिति में कार्यकारी कुलपति चयन समिति की बैठकों को आयोजित एवं उसकी अध्यक्षता करेंगे:

परन्तु कि चयन समिति की बैठक कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट विशेषज्ञों एवं कुलाध्यक्ष (Visitor) द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति की सुविधा के अनुसार होगा:

इसके अतिरिक्त यह कि चयन समिति विधिमान्य नहीं होगी जब तक कि:-

(क) जहां कुलाध्यक्ष (Visitor) द्वारा तथा कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या चार हो, उनमें से कम से कम तीन बैठक में भाग लें; तथा

(ख) जहां कुलाध्यक्ष (Visitor) द्वारा तथा कार्यकारी परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्तियों की कुल संख्या तीन हो, उनमें से कम से कम दो बैठक में भाग लें।

(4) सिफारिशों को तैयार करने में चयन समिति द्वारा अनुगमन की जा रही प्रक्रिया को अध्यादेश में निर्धारित किया जाएगा।

(5) यदि कार्यकारी परिषद चयन समिति द्वारा की गई सिफ़ारिशों को स्वीकार करने में असमर्थ है, तो ये उनके कारणों को रिकॉर्ड करेगा तथा मामले को कुलाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति को अंतिम आदेश हेतु प्रस्तुत करेगा।

(6) अस्थायी पदों पर नियुक्ति निम्नलिखित प्रकार से की जाएगी:-

(i) यदि अस्थायी रिक्ती एक शिक्षा सत्र से अधिक अवधि के लिए हो, तो ये चयन समिति की सलाह पर पूर्ववर्ती खंडो में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार भरी जाएगी:

परन्तु कि कुलपति संतुष्ट हों कि कार्य के हित में रिक्ती को भरना आवश्यक था, नियुक्ति छः मास से अनधिक की अवधि के लिए उप खंड (ii) में विनिर्दिष्ट स्थानीय चयन समिति की सलाह पर पूर्णतया अस्थायी आधार पर की जाएगी;

(ii) यदि अस्थायी रिक्ती एक वर्ष से कम की अवधि के लिए हो, तो इस प्रकार की रिक्ती पर स्थानीय चयन समिति जिसमें संबन्धित स्कूल के डीन, विभागाध्यक्ष तथा कुलपति द्वारा नामनिर्दिष्ट एक व्यक्ति शामिल होंगे, की सिफारिश पर नियुक्ति की जाएगी:

परन्तु कि यदि एक ही व्यक्ति डीन तथा विभागाध्यक्ष दोनों पदों पर नियुक्त हो, तो कुलपति द्वारा नामित दो व्यक्तियों को चयन समिति में शामिल किया जा सकता है:

परन्तु इसके अतिरिक्त यदि किसी व्यक्ति की मृत्यु या फिर किसी अन्य कारण से शैक्षणिक पदों पर अचानक आकस्मिक रिक्ती होने की दशा में, डीन संबन्धित विभागाध्यक्ष के परामर्श से, एक महीने के लिए अस्थायी नियुक्ति कर सकता है तथा कुलपति तथा रजिस्ट्रार को इस प्रकार की नियुक्ति के संबंध में रिपोर्ट कर सकता है;

(iii) अस्थायी रूप से नियुक्त कोई भी शिक्षक, यदि कानून के अधीन नियुक्ति के लिए नियमित चयन समिति द्वारा सिफारिश नहीं किए जाते हैं, इस प्रकार के अस्थायी रोजगार में सेवा में नहीं रहेंगे, जब तक वे एक स्थानीय चयन समिति या नियमित चयन समिति द्वारा अस्थायी या स्थायी नियुक्ति, जो भी मामला हो, के लिए चयनित नहीं किए जाते।

22. नियुक्ति का विशेष तरीका.—(1) कार्यकारी परिषद उच्च शैक्षणिक योग्यता अथवा वृत्तिक अभ्याप्ति वाले किसी भी व्यक्ति को विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, सहायक प्रोफेसर या रीडर या कोई दूसरे समान शैक्षिक पद को स्वीकार करने के लिए आमंत्रित कर सकती है, ऐसी निबंधनों और शर्तों जो उचित समझे व्यक्ति की उनपर सहमति के आधार पर, जैसी भी स्थिति हो, उसे पद पर नियुक्त कर सकती है:

परन्तु कि कार्यकारी परिषद इस प्रकार के व्यक्तियों की नियुक्ति के लिए विनिर्दिष्ट अवधि के लिए अधिसंख्य पदों को भी सृजित कर सकती है:

इसके अतिरिक्त, इस प्रकार सृजित अधिसंख्य पदों को विश्वविद्यालय में कुल पदों के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

(2) कार्यकारी परिषद अध्यादेश में निर्दिष्ट तरीकों के अनुसरण में एक संयुक्त परियोजना को प्रारम्भ करने के लिए शिक्षक या किसी अन्य विश्वविद्यालय या संगठन में कार्य करने वाले कर्मचारिवृन्द को नियुक्त कर सकती है।

23. नियत अवधि के लिए नियुक्ति.—कार्यकारी परिषद परिनियम 21 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार चयनित एक व्यक्ति को एक नियत अवधि के लिए ऐसी निबंधनों और शर्तों जो उचित समझे पर नियुक्ति कर सकती है।

24. स्थायी या विशेष समिति.—(1) विश्वविद्यालय का कोई भी प्राधिकारी स्थायी या विशेष समिति नियुक्त कर सकेगा और ऐसा व्यक्ति जो इस प्रकार के प्राधिकरण के सदस्य नहीं है, को इस समिति में नियुक्त कर सकता है।

(2) खंड (1) के अधीन नियुक्त एक समिति, इसे सौंपे गए किसी भी विषय के साथ व्यवहार कर सकती है, बशर्ते कि इसे नियुक्त करने वाले प्राधिकारी द्वारा इसकी पश्चातकर्ता पुष्टि की गई हो।

25. अध्यापकों के लिए सेवा की निबंधनें और शर्तें तथा आचार संहिता, आदि.—(1) विश्वविद्यालय के सभी अध्यापक तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृन्द, किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में, परिनियम, अध्यादेशों तथा विनियमों में निर्दिष्ट आचार संहिता तथा सेवा की निबंधने और शर्तें के अध्याधीन शासित होंगे।

(2) शैक्षिक कर्मचारिवृन्द की उपलब्धियाँ अध्यादेशों में विनिर्दिष्टानुसार होंगी।

(3) विश्वविद्यालय के सभी शिक्षक तथा शैक्षिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य को लिखित संविदा पर नियुक्त किया जाएगा, जिसका प्रारूप अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट किया जाएगा।

(4) खंड (3) में निर्दिष्ट सभी संविदाओं की एक प्रति रजिस्ट्रार के पास जमा होगी।

26. अन्य कर्मचारियों के लिए सेवा की निबंधनें और शर्तें तथा आचार संहिता.—(1) अध्यापक तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृन्द के अतिरिक्त, विश्वविद्यालय के सभी कर्मचारी किसी प्रतिकूल संविदा के अभाव में, कानून, अध्यादेशों तथा विनियमों में निर्दिष्ट आचार संहिता तथा सेवा की निबंधनों तथा शर्तों के अध्याधीन शासित होंगे।

(2) अध्यापक तथा अन्य शैक्षिक कर्मचारिवृन्द के अतिरिक्त, कर्मचारियों की नियुक्तियाँ एवं उपलब्धियाँ अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्टानुसार होंगी।

27. ज्येष्ठता सूची.—(1) जब भी, परिनियम के अनुसार, कोई व्यक्ति ज्येष्ठता के अनुसार चक्रानुक्रम से विश्वविद्यालय में किसी पद पर नियुक्त होता है, या फिर किसी प्राधिकारण का सदस्य बनता है, तो इस प्रकार की ज्येष्ठता उसके ग्रेड में नियमित सेवाओं की अवधि के अनुसार, तथा किसी अन्य सिद्धांत जिसे कार्यकारी परिषद समय-समय पर विहित करती है, द्वारा अवधारित की जाएगी।

(2) यह रजिस्ट्रार का कर्तव्य होगा कि वह जिनपर इन परिनियमों के उपबंध लागू होते हैं के संबंध में, खंड (1) के उपबंधों के अनुसरण में सम्पूर्ण तथा अद्यतन ज्येष्ठता सूची तैयार एवं उसका अनुरक्षण करे।

(3) यदि दो या अधिक व्यक्तियों का विशिष्ट ग्रेड में नियमित सेवा की अवधि समान है या किसी व्यक्ति या व्यक्तियों की आपेक्षिक ज्येष्ठता संदेहजनक हो, रजिस्ट्रार स्वयं, तथा किसी अन्य व्यक्ति के अनुरोध पर, कार्यकारी परिषद को मामला सौंप सकता है जिसका उस पर विनिश्चय अंतिम होगा।

28. विश्वविद्यालय के कर्मचारियों को हटाया जाना.—(1) यदि विश्वविद्यालय के अध्यापक, शैक्षिक कर्मचारिवृन्द या अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध कदाचार का आरोप लगता है, तो कुलपति, अध्यापक या शैक्षिक कर्मचारिवृन्द का सदस्य, तथा अन्य कर्मचारियों के मामले में, तत्काल, ऐसे शिक्षक, शैक्षणिक स्टाफ या अन्य कर्मचारी, जैसा मामला हो, को लिखित आदेश से निलंबित कर सकते हैं, तथा कार्यकारी परिषद को जिन परिस्थितियों में आदेश दिये गए के संबंध में रिपोर्ट कर सकते हैं:

परन्तु कार्यकारी परिषद, यदि उनके विचार में, मामले की परिस्थितियाँ अध्यापक या शैक्षिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य के निलंबन को न्यायसंगत नहीं ठहराती, तो इस प्रकार के आदेश को निरस्त कर सकती है।

(2) नियुक्ति की संविदा के निबंधनों अथवा कर्मचारियों की सेवा की किसी अन्य निबंधनों और शर्तों में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शिक्षकों और अन्य कर्मचारिवृन्दों के संबंध में कार्यकारी परिषद तथा अन्य कर्मचारियों के संबंध में नियुक्ति प्राधिकारी को शिक्षक अथवा शैक्षिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी, जैसा भी मामला हो, कदाचार के आधार पर सेवा से हटाने का अधिकार होगा।

(3) उपर्युक्त के अनुसार, कार्यकारी परिषद, अथवा जैसा भी मामला हो, नियुक्ति प्राधिकारी किसी भी शिक्षक, शैक्षिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को, समुचित कारण के अलावा, सेवा से हटाने का अधिकार नहीं होगा और इसके लिए उसे तीन महीने का नोटिस अथवा इसके बजाय तीन महीने के वेतन का भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा।

IndiaCode

(4) खण्ड (2) अथवा खण्ड (3) के अधीन किसी भी शिक्षक, शैक्षिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी को तब तक सेवा से हटाया नहीं जाएगा जब तक कि उनके संबंध में की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के विरुद्ध उसे कारण बताने के लिए युक्तियुक्त अवसर प्रदान नहीं किया गया हो।

(5) शिक्षक, शैक्षिक कर्मचारिवृन्द के सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी का हटाया जाना उसी तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को उसके हटाये जाने का आदेश दिया गया है:

परन्तु कि, जहां शिक्षक, शैक्षिक कर्मचारिवृन्द का सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी उसके हटाने के समय पर निलंबनाधीन हो, यह हटाया जाना उस तारीख से प्रभावी होगी जिस तारीख को उसे निलंबित किया गया था।

(6) इस परिनियम के पूर्ववर्ती उपबंधों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, शिक्षक, शैक्षिक कर्मचारिवृन्द का सदस्य अथवा अन्य कर्मचारी त्याग पत्र दे सकता है-

(क) अगर वह एक स्थाई कर्मचारी है तो कार्यकारी परिषद अथवा नियुक्ति प्राधिकारी को लिखित रूप में तीन महीने का नोटिस दिए जाने के पश्चात ही, जैसा भी मामला हो, अथवा इसके बजाय तीन महीने का वेतन संदाय करके; और

(ख) अगर वह स्थाई कर्मचारी नहीं है तो कार्यकारी परिषद अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, को लिखित रूप में केवल एक महीने का नोटिस दिए जाने के पश्चात् अथवा इसके बजाय एक महीने के वेतन का संदाय करके:

परन्तु कि इस तरह का त्यागपत्र उसी तारीख को प्रभावी होगा जिस तारीख को कार्यकारी परिषद अथवा नियुक्ति प्राधिकारी, जैसा भी मामला हो, द्वारा त्यागपत्र स्वीकार किया गया है।

29. मानद उपाधियां.—(1) शैक्षिक परिषद की सिफारिश तथा उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प के आधार पर कार्यकारी परिषद मानद उपाधियां प्रदान करने के लिए कुलाध्यक्ष अथवा उसके नामनिर्देशिती के लिए प्रस्ताव तैयार करेगा:

परन्तु कि आपात स्थिति के मामले में, कार्यकारी परिषद, अपने स्वयं के प्रस्ताव पर, इस तरह के प्रस्ताव कर सकती है।

(2) उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित संकल्प द्वारा कार्यकारी परिषद कुलाध्यक्ष या उसके नामनिर्देशिती की पूर्ववर्ती मंजूरी के साथ विश्वविद्यालय द्वारा दी गई किसी भी मानद उपाधि को वापस ले सकता है।

30. उपाधियां आदि की वापसी। उपस्थित तथा मतदान करने वाले सदस्यों के कम से कम दो तिहाई बहुमत से पारित विशेष संकल्प द्वारा कार्यकारी परिषद अच्छा तथा पर्याप्त कारण के लिए विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति को दी गई उपाधि अथवा शैक्षिक उत्कृष्टता अथवा कोई प्रमाण पत्र अथवा डिप्लोमा को वापस ले सकती है:

परन्तु इस तरह का संकल्प तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस व्यक्ति को लिखित रूप में विनिर्दिष्ट समय के भीतर यह कारण बताने का नोटिस नहीं दिया जाता कि क्यों न इस तरह का संकल्प पारित किया जाना चाहिए और इस संबंध में उसकी आपत्तियां, यदि कोई हो, तथा अपने बचाव में प्रस्तुत साक्ष्य पर कार्यकारी परिषद द्वारा विचार नहीं किया गया हो।

31. विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना.—(1) विश्वविद्यालय के छात्रों के संबंध में अनुशासन बनाए रखने और अनुशासनिक कार्रवाई करने से संबंधित सभी शक्तियां कुलपति के पास होंगी।

(2) अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट रीति से कार्यकारी परिषद द्वारा प्रोफेसरों तथा एसोसिएट प्रोफेसरों में से नियुक्त किए गए विश्वविद्यालय के कुलानुशासक (प्रोक्टर) खण्ड (1) में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग करते हुए कुलपति की सहायता करेंगे।

(3) कुलपति, खण्ड (1) में निर्दिष्ट अपनी सभी अथवा कोई भी शक्ति, जैसा उचित समझे, कुलानुशासक (प्रोक्टर) तथा ऐसे अन्य अधिकारियों, जिसे वह अपनी ओर से विनिर्दिष्ट करता है, को प्रत्यायोजित कर सकता है।

IndiaCode

(4) अनुशासन बनाए रखने तथा इस तरह की कार्रवाई करने, जिसको कि वे अनुशासन बनाए रखने के लिए समुचित समझते हों, से संबंधित अपनी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, कुलपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश द्वारा प्रत्यक्ष रूप से विनिर्दिष्ट अवधि के लिए किसी भी विद्यार्थी को निष्कासित अथवा निलंबित कर सकता है अथवा उल्लिखित अवधि के लिए स्कूल अथवा विश्वविद्यालय के विभाग अध्ययन के पाठ्यक्रमों अथवा पाठ्यक्रम के लिए प्रवेश देने से प्रतिबंधित कर सकता है अथवा आदेश में विनिर्दिष्ट राशि का जुर्माना लगा सकता है अथवा विश्वविद्यालय, विभाग अथवा स्कूल द्वारा आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं में भाग लेने से मना कर सकता है अथवा यह कि विद्यार्थी का परिणाम अथवा विद्यार्थियों से संबंधित परीक्षा, अथवा उन परीक्षाओं जिसमें वह अथवा वे विद्यार्थी भाग लेते है, को रद्द कर सकता है।

(5) कालेज, संस्थानों के प्रधानाचार्य, डीन ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीज तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के प्रमुखों को, अपने संबंधित कालेजों, संस्थानों, स्कूलों तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों से संबंधित विद्यार्थियों पर, ऐसे स्कूलो तथा अध्यापन विभागों के उचित संचालन के लिए यथा आवश्यक, अनुशासनिक कार्रवाई करने का प्राधिकार होगा।

(6) खण्ड (5) में विनिर्दिष्ट कुलपति, डीन तथा अन्य व्यक्तियों की शक्तियों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना अनुशासन तथा समुचित आचरण संबंधी व्यापक नियम विश्वविद्यालय द्वारा बनाए जाएंगे। डीन ऑफ स्कूल ऑफ स्टडीज तथा विश्वविद्यालय में अध्यापन विभागों के प्रमुख, उक्त प्रयोजनों के लिए जैसा वे उचित समझें, ऐसे अनुपूरक नियम भी बना सकते हैं।

(7) प्रत्येक विद्यार्थी को प्रवेश के समय, इस आशय के घोषणापत्र पर हस्ताक्षर करना होगा कि वे कुलपति तथा विश्वविद्यालय के अन्य प्राधिकारियों के अनुशासनिक अधिकार क्षेत्र के लिए स्वयं प्रस्तुत होंगे।

32. कॉलेज के छात्रों के बीच अनुशासन बनाए रखना आदि। कॉलेज अथवा संस्था के विद्यार्थियों के संबंध में अनुशासन तथा अनुशासनिक कार्रवाई संबंधी सभी शक्तियां, विश्वविद्यालय द्वारा गैर अनुरक्षित, अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार कॉलेज अथवा संस्थान, जैसा भी मामला हो, कॉलेज अथवा संस्थान के प्रधानाचार्य के पास होंगी।

33. कॉलेज आदि में प्रवेश के लिए विश्वविद्यालय का विशेषाधिकार.—(1) विश्वविद्यालय के अधिकारिता के भीतर स्थित कॉलेजों तथा अन्य संस्थानों में प्रवेश, कार्यकारी परिषद द्वारा विनिश्चत निम्नलिखित शर्तों के आधार पर विश्वविद्यालय के ऐसे विशेषाधिकार के तहत, दिलाया जा सकता हैं, अर्थात्:-

(i) प्रत्येक ऐसे कॉलेज अथवा संस्थान को नियमित रूप से शासकीय निकाय का गठन करना होगा जिसमें कार्यकारी परिषद द्वारा अनुमोदित पंद्रह से अधिक व्यक्ति शामिल नहीं होगे, जिनमें अन्यों के साथ-साथ, कार्यकारी परिषद् द्वारा नामित किए जाने वाले दो अध्यापक और अध्यापन स्टाफ के तीन प्रतिनिधि शामिल होंगे जिनमें से एक उस महाविद्यालय या संस्था के प्रधानाचार्य होंगे और महाविद्यालय या संस्था के प्रबंधन को प्रभावित करने वाले अन्य मामले ऐसे होंगे जो कि अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं:

परंतु यह भी कि उक्त शर्त सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों और संस्थाओं के मामले में लागू नहीं होगी बहरहाल, उनकी, एक सलाहकार समिति होगी जिसमें अधिकतम पंद्रह लोग होंगे जिनमें अन्यों के साथ-साथ महाविद्यालय या संस्था के प्रधानाचार्य सहित तीन अध्यापक और कार्यकारी परिषद् द्वारा नामनिर्दिष्ट विश्वविद्यालय के दो अध्यापक शामिल होंगे;

(ii) ऐसा प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था निम्नलिखित मामलों पर कार्यकारी परिषद् को संतुष्ट करेगा, अर्थात्:-

(*क*) इसके आवास और शिक्षण के लिए उपस्करों की उपयुक्ता और पर्याप्तता;

(*ख*) इसके शिक्षण स्टाफ की अर्हताएं और पर्याप्तता और उनकी सेवा शर्तें;

(*ग*) छात्रों के निवास, कल्याण, अनुशासन और पर्यवेक्षण के लिए व्यवस्थाएं;

(घ) महाविद्यालय या संस्था के निरंतर अनुरक्षण के लिए किए गए वित्तीय उपबंधों की पर्याप्तता; और

(ङ) ऐसे अन्य मामले जो विश्वविद्यालय शिक्षा के मानदंडों के अनुरक्षण के लिए अनिवार्य हों।

(iii) किसी भी महाविद्यालय या संस्था को, सिवाय अकादमिक परिषद् द्वारा इस प्रयोजनार्थ नियुक्त निरीक्षण समिति की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद की गई अकादमिक परिषद की सिफारिश को छोड़कर विश्वविद्यालय का कोई विशेषाधिकार प्राप्त नहीं होगा;

(iv) विश्वविद्यालय के किसी भी विशेषाधिकार में स्वीकृति के इच्छुक महाविद्यालयों और संस्थाओं द्वारा ऐसा करने के लिए लिखित में अपनी इच्छा के बारे में सूचित करना अपेक्षित होगा ताकि यह, उस वर्ष से पूर्व जिसके लिए इसे लागू करने की अनुमति हेतु आवेदन किया गया हो, अधिकतम 15 अगस्त तक रजिस्ट्रार तक पहुँच सके;

(v) कोई महाविद्यालय या संस्था, कार्यकारी परिषद और अकादमिक परिषद की पूर्व अनुमति के बिना, उस अध्ययन के किसी भी विषय या पाठ्यक्रम में अनुदेश को निलंबित नहीं करेगा जिसके शिक्षण के लिए यह प्राधिकृत है और जिसकी शिक्षा प्रदान करता है।

(2) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकारों में स्वीकृत महाविद्यालयों या संस्थाओं के शिक्षण कर्मचारियों और प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट की गई रीति से की जाएगी:

परंतु यह भी कि इस खंड में निहित कोई भी बात सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों और संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।

(3) खंड (2) में निर्दिष्ट प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था के प्रशासनिक और अन्य गैर-अकादमिक कर्मचारिवृन्द की सेवा शर्तें इस प्रकार लागू होंगी जैसे इन्हें अध्यादेशों में निर्धारित किया गया है:

परंतु यह भी कि इस खंड में निहित कोई भी बात सरकार द्वारा अनुरक्षित महाविद्यालयों और संस्थाओं पर लागू नहीं होगी।

(4) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में प्रविष्ट प्रत्येक महाविद्यालय या संस्था का अकादमिक परिषद् द्वारा नियुक्त एक समिति द्वारा प्रत्येक दो अकादमिक वर्षों में कम से कम एक बार निरीक्षण किया जाएगा, और समिति की रिपोर्ट अकादमिक परिषद् को प्रस्तुत की जाएगी, जो इसे ऐसी सिफारिशों सहित कार्यकारी परिषद् को अग्रेषित करेगी, जैसी सिफारिशें करना वह उचित समझे।

(5) अकादमिक परिषद्, कार्यकारी परिषद की रिपोर्ट और सिफारिशों, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद, रिपोर्ट की प्रति ऐसी टिप्पणियों, यदि कोई हों, सहित महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को अग्रेषित करेगी जैसा कि वह उपयुक्त कार्रवाई के लिए उपयुक्त समझे।

(6) कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद से परामर्श करके, किसी भी समय जब वह यह समझे कि महाविद्यालय या संस्था ऐसी किसी भी शर्त को पूरा नहीं करते हैं, जिसे पूरा करने के लिए उस महाविद्यालय या संस्था को ऐसे विशेषाधिकार प्रदान किए गए थे, तो उस महाविद्यालय या संस्था को प्रदान किया गया कोई भी विशेषाधिकार वापस ले सकता है:

परंतु यह भी कि किसी भी विशेषाधिकार को वापस लेने से पूर्व, संबंधित महाविद्यालय या संस्था के शासी निकाय को कार्यकारी परिषद् के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाएगा कि न ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जानी चाहिए।

(7) खंड (1) में निर्धारित शर्तों के अध्यधीन, अध्यादेशों में विनिर्दिष्ट किया जा सकता है:

(i) ऐसी अन्य शर्तें जैसी आवश्यक समझी जाएं;

(ii) विश्वविद्यालय के विशेषाधिकार में महाविद्यालयों और संस्थाओं को प्रदान करने और उन विशेषाधिकारों को वापस लेने की प्रक्रियाएं।

(8) संबद्धता एवं मान्यता बोर्ड की संरचना और इसके सदस्यों की पदावधि की शर्तों ऐसी होंगी जैसी कि अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं।

34. दीक्षांत समारोह.—डिग्रियां प्रदान करने या अन्य उद्देश्यों के लिए विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह ऐसे तरीके से आयोजित किए जाएंगे जैसे कि अध्यादेशों द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं।

35. बैठकों के कार्यवाहक अध्यक्ष.—जहां विश्वविद्यालय के किसी भी प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी भी समिति की बैठक में अध्यक्षता हेतु अध्यक्ष के लिए कोई उपबंध न किया गया हो या जब इस प्रकार उपबंध किया गया अध्यक्ष अनुपस्थित हो, तो वहां उपस्थित सदस्य उस बैठक में अध्यक्षता के लिए स्वयं में से किसी एक का चयन करेंगे।

36. त्यागपत्र.—न्यायालय, कार्यकारी परिषद्, अकादमिक परिषद् या विश्वविद्यालय के किसी भी अन्य प्राधिकरण या ऐसे प्राधिकरण की किसी भी समिति के किसी *पदेन* सदस्य से भिन्न अन्य कोई भी सदस्य रजिस्ट्रार को संबोधित पत्र द्वारा त्यागपत्र दे सकता है और यह त्यागपत्र रजिस्ट्रार द्वारा पत्र प्राप्त किए जाते ही लागू होगा।

37. निरर्हताएं.—(1) किसी व्यक्ति को किसी भी प्राधिकरण के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए या सदस्य बनने के लिए या विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में चुने जाने के लिए या अधिकारी बनने के लिए निरर्हित कर दिया जाएगा, यदि वह-

(i) विकृतचित हो;

(ii) अनुन्मोचित दिवालिया हो; और

(iii) उसे किसी न्यायालय द्वारा नैतिक अधमता वाले किसी अपराध का आरोपी बनाया जा चुका हो और उसे इस संबंध में न्यूनतम छह महीने का कारावास हुई हो।

(2) यदि इस बारे में कोई प्रश्न उठता है कि क्या कोई व्यक्ति खंड (1) में उल्लिखित किसी भी निरर्हता के अध्यधीन है या रह चुका है, तो वह प्रश्न कुलाध्यक्ष या उसके नामनिर्देशिती को निर्दिष्ट किया जाएगा और उनका निर्णय अंतिम होगा और उस निर्णय के विरुद्ध किसी भी दीवानी न्यायालय में कोई वाद या कोई अन्य कार्यवाही नहीं चलाई जाएगी।

38.सदस्यता और कार्यालय के लिए आवास शर्तें.—इन परिनियमों में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, वह व्यक्ति जो सामान्य रूप से भारत का निवासी नहीं है, विश्वविद्यालय के अधिकारी अथवा विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकरण के सदस्य होने के लिए योग्य होंगे।

39. अन्य निकायों की सदस्यता के फलस्वरूप प्राधिकरणों की सदस्यता.—इन परिनियमों में अतंर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, एक व्यक्ति जो विश्वविद्यालय में किसी पद को धारित करता है या विश्वविद्यालय में किसी प्राधिकरण या निकाय का सदस्य है, वह उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के पद पर या विशिष्ट नियुक्ति के धारक के रूप में तब तक कार्यरत रहेगा जब तक वह वह उस विशिष्ट प्राधिकरण या निकाय के सदस्य के रूप में या उस विशिष्ट नियुक्ति के रूप में बना रहेगा, जैसा भी मामला हो।

40. पूर्व छात्र संगम.—(1) विश्वविद्यालय के लिए एक पूर्व छात्र संगम होगा।

(2) पूर्व छात्र संगम के लिए चंदा अध्यादेश द्वारा निर्दिष्ट के अनुरूप होगा।

(3) पूर्व छात्र संगम का कोई भी सदस्य तब तक वोट नहीं दे पाएगा या चुनाव में नहीं खड़ा हो पाएगा जब तक कि चुनाव की तारीख से कम से कम एक वर्ष पूर्व की अवधि के लिए वह संघ का सदस्य न रह चुका हो और उसके पास विश्वविद्यालय में पढ़ने की कम से कम पाँच वर्ष की डिग्री हो:

परन्तु कि एक वर्ष की सदस्यता पूरी होने से संबन्धित शर्त प्रथम चुनाव के मामले में लागू नहीं होगी।

41. विद्यार्थी परिषद.—(1) विश्वविद्यालय में प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष के लिए एक विद्यार्थी परिषद का गठन किया जाएगा, जिसमें निम्नलिखित होंगे-

(i) द डीन ऑफ स्टूडेंटस वेलफेयर विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष होंगे;

(ii) दस विद्यार्थी पढ़ाई में दक्षता, खेल और पाठ्येत्तर गतिविधियों के आधार पर शैक्षिक परिषद द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाएँगे; और

(iii) विद्यार्थियों द्वारा बीस विद्यार्थी उनके प्रतिनिधि के रूप में चयनित किए जाएँगे:

परंतु यह भी कि विश्वविद्यालय के विद्यार्थी के पास विश्वविद्यालय से संबन्धित मामलों को अध्यक्ष की अनुमति से विद्यार्थी परिषद के समक्ष रखने का अधिकार होगा और जब मामले को विचार-विमर्श के लिए लाया जाएगा, तब उसके पास किसी भी बैठक में भाग लेने का अधिकार होगा।

(2) विद्यार्थी परिषद का कार्य अध्ययन, विद्यार्थी कल्याण के कार्यक्रमों और सामान्य रूप से विश्वविद्यालय के कार्य के संबंध में महत्त्वपूर्ण अन्य मामलों में के संबंध मे विश्वविद्यालय के समुचित प्राधिकारियों को सुझाव देना होगा और इस तरह के सुझाव विचारों में मतैक्य के आधार पर दिये जाएंगे।

(3) विद्यार्थी परिषद प्रत्येक शैक्षणिक वर्ष में कम से कम दो बार बैठक करेगी और परिषद की पहली बैठक सत्र के आरंभ में होगी।

42. अध्यादेश किस प्रकार तैयार किया जाना है.—(1) इस अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा (2) के अधीन बनाए गए प्रथम अध्यादेश को नीचे विनिर्दिष्ट तरीके से कार्यकारी परिषद द्वारा किसी भी समय संशोधन, निरसन अथवा संवर्धन किया जा सकता है।

(2) इस अधिनियम की धारा 28 की उप-धारा 1 में प्रगणित मामलों के संबंध में कोई भी अध्यादेश कार्यकारी परिषद द्वारा तब तक नहीं बनाया जा सकता, जब तक कि इस तरह के अध्यादेश के लिए शैक्षिक परिषद द्वारा प्रस्तावित न किया गया हो।

(3) कार्यकारी परिषद के पास खंड (2) के अधीन शैक्षिक परिषद द्वारा प्रस्तावित किसी अध्यादेश के किसी प्रारूप को संशोधन करने की शक्ति नहीं होगी, लेकिन वह प्रस्ताव को रद्द कर सकती है अथवा, कार्यकारी परिषद द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन सहित प्रस्ताव के प्रारूप को, पूर्णता या अंशता, पुनर्विचार हेतु शैक्षिक परिषद को वापस भेज सकती है।

(4) जबकि शैक्षिक परिषद द्वारा प्रस्तावित अध्यादेश के प्रारूप को कार्यकारी परिषद द्वारा अस्वीकार किया गया है अथवा वापस भेज दिया गया हो, ऐसे में शैक्षिक परिषद मामले पर नए तरीके से विचार कर सकती है और यदि बहुमत द्वारा जो सदस्यों के दो तिहाई से कम न हो, वे उपस्थित होकर और वोटिंग करके और शैक्षिक परिषद के सदस्यों की कुल संख्या के आधे से अधिक द्वारा मूल प्रारूप को पुन: पुष्ट करने के मामले में इस प्रारूप को वापस कार्यकारी परिषद के पास भेजा जा सकता है जिसे या तो स्वीकार किया जाएगा अथवा इसे कुलाध्यक्ष या उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास भेजा जा सकता है जिनका निर्णय अंतिम होगा।

(5) कार्यकारी परिषद द्वारा प्रख्यापित प्रत्येक अध्यादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(6) कार्यकारी परिषद द्वारा प्रख्यापित प्रत्येक अध्यादेश इसके स्वीकार किए जाने के दो सप्ताह के भीतर कुलाध्यक्ष अथवा उनके द्वारा नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास प्रस्तुत करना होगा।

(7) कुलाध्यक्ष अथवा उनके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति के पास अध्यादेश के प्राप्त होने के चार सप्ताह के भीतर ऐसे किसी अध्यादेश के प्रवर्त्तन को निरस्त करने का निदेश विश्वविद्यालय को देने का अधिकार होगा।

(8) कुलाध्यक्ष अथवा उनके नामनिर्दिष्ट व्यक्ति खंड (7) में निर्दिष्ट अध्यादेशों के प्रति अपनी आपत्ति के बारे में कार्यकारी परिषद को सूचित करेंगे और विश्वविद्यालय से प्राप्त टिप्पणियों के बाद या तो अध्यादेश को निरस्त करने वाले आदेश वापस लिए जा सकते हैं या अध्यादेश को अस्वीकृत किया जा सकता है,और उनका निर्णय अंतिम होगा।

43. विनियम.—(1) विश्वविद्यालय के प्राधिकारी निम्नलिखित मामलों के लिए अधिनियम, परिनियमों और अध्यादेशों के साथ विनियम को संगत बना सकती है, जैसे:-

(i) उनकी बैठकों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया और गणपूर्ति के रूप में अपेक्षित सदस्यों की संख्या निर्धारित करना;

(ii) सभी मामलों के लिए उपबंध करना जो विनियमों द्वारा निर्दिष्ट किए जाने के लिए अधिनियम, परिनियमों अथवा अध्यादेशों द्वारा अपेक्षित है; और

(iii) केवल इस तरह के प्राधिकारियों या उनके द्वारा नियुक्त समितियों से संबन्धित अन्य सभी मामलों के लिए उपबंध करना जिसे अधिनियम, परिनियमों अथवा इन अधिनियमों के द्वारा के लिए उपबंध नहीं किया गया गया है।

(2) विश्वविद्यालय का प्रत्येक प्राधिकरण ऐसे विनियम बनाएगा जिनमें ऐसे प्राधिकरण के सदस्यों को बैठकों की तारीखों और इन बैठकों में विचार किए जाने वाले कारबार तथा बैठकों की कार्यवाही का रिकॉर्ड रखने से संबन्धित सूचना दिये जाने का उपबंध किया गया है।

(3) कार्यकारी परिषद इस रीति में संशोधन का निदेश दे सकती है जैसे इसे परिनियमों या इस तरह के विनियम समाप्त करने के अधीन बनाए गए किसी विनियम को निर्दिष्ट किया हो।

44. शक्तियों का प्रत्यायोजन.—अधिनियम के प्रावधानों तथा परिनियमों के अध्ययधीन रहते हुए विश्वविद्यालय का कोई भी अधिकारी या प्राधिकारी अपने व अपने संबन्धित नियंत्रण के अंतर्गत किसी अधिकारी या प्राधिकारी या व्यक्ति को शक्तियों का प्रत्यायोजन कर सकता है और ऐसा वह इस शर्त के अध्ययधीन रहते हुए करेगा कि इस प्रकार प्रत्यायोजित शक्तियों के प्रयोग का समग्र उत्तरदायित्व उस अधिकारी या प्राधिकारी के पास होगा जिसे ऐसी शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गईं।

45. शुल्क की समीक्षा.—वित्त समिति की सिफारिश पर कार्यकारी परिषद द्वारा विश्वविद्यालय से संबन्धित प्रवेश और शिक्षा शुल्क की समीक्षा की जाएगी।

[फा. सं. एवी-28011/16/2015-ईआर]

डॉ. रेणु सिंह परमार, वरिष्ठ सलाहकार

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2016

S.O. 683(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 27 of the Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013 (26 of 2013), the Central Government, (Steering Committee of the Ministry of Civil Aviation), hereby frame the following Statutes, namely:-

1. Short title and Commencement.—(1) These Statutes may be called the Rajiv Gandhi National Aviation University First Statutes, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—(1) In these Statutes, unless the context otherwise requires,-

(*a*) "Act" means the Rajiv Gandhi National Aviation University Act, 2013 (26 of 2013);

(*b*) "clause" means a clause of the Statutes in which that expression occurs;

(*c*) "Ordinance" means the Ordinances of the University made under the Act;

(*d*) "other officers" means the officers other than the Chancellor, the Vice-Chancellor, the Deans of Schools, the Registrar, the Finance Officer and the Controller of Examinations as may be declared by the Statutes to be officers of the University;

(*e*)"section" means a section of the Act;

(*f*) "Selection Committee" means the Selection Committee referred to in Statute 21;

(*g*)"specified" means specified in the Ordinances;

(*h*) "Standing or Special Committee" means the Standing or Special Committee referred to in Statute 24;

(*i*) "the Board of Affiliation and Recognition" means the Board referred to Statute 18;

(*j*) "University" means the Rajiv Gandhi National Aviation University established under section 3 of the Act;

(2) the words and expressions used herein and not defined but defined in the Act shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. The Chancellor.—(1) The Chancellor shall be appointed by the Visitor or his nominee on the basis of recommendation by the Executive Council from amongst three persons of eminence in the field of academic, aviation, public administration, or public life of the country:

Provided that if the Visitor or his nominee does not approve of any of the persons so recommended, he may call for fresh recommendations from the Executive Council.

(2) The Chancellor shall hold office for a term of five years and shall be eligible for re-appointment:

Provided that notwithstanding the expiry of his term of office, the Chancellor shall continue to hold office until his successor enters upon his office.

4. The Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor or his nominee from a panel of not less than three persons, recommended by a Search-cum-Selection Committee as constituted under clause (2), having experience in the field of aviation education, aviation research, airline or airport administration, airport management or airlines:

Provided that if the Visitor or his nominee does not approve of any of the persons included in the panel, he may call for a fresh panel.

(2) The Committee, referred to in clause (1), shall consist of five persons, out of whom three shall be nominated by the Executive Council and two by the Visitor or his nominee and one of the nominees of the Visitor shall be the convener of the Committee:

Provided that none of the members of the Committee shall be an employee of the University or a College or an Institution maintained by the University or a member of any authority of the University.

(3) The Vice-Chancellor shall be a whole-time salaried officer of the University.

(4) The Vice-Chancellor shall hold office for a term of five years from the date on which he enters upon his office, or until he attains the age of sixty five years, whichever is earlier, and he shall not be eligible for re-appointment:

Provided that notwithstanding the expiry of the said period of five years, he shall continue in office until his successor is appointed and enters upon his office:

Provided further that the Visitor or his nominee may direct any Vice-Chancellor after his term has expired, to continue in office for such period, not exceeding a total period of one year, as may be specified by him.

(5) Notwithstanding anything contained in clause (4), the Visitor or his nominee may, at any time after the Vice-Chancellor has entered upon his office, by order in writing, remove the Vice-Chancellor from office on grounds of incapacity, misconduct or violation of statutory provisions:

Provided that no such order shall be made by the Visitor or his nominee unless the Vice-Chancellor has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken against him:

Provided further that the Visitor or his nominee shall consult the Chancellor also before making such order:

Provided also that the Visitor or his nominee may, at any time before making such order, place the Vice-Chancellor under suspension, pending enquiry.

(6) The emoluments and other conditions of service of the Vice-Chancellor shall be as follows-

(*i*) the Vice-Chancellor shall be paid a monthly salary and allowances other than the house rent allowance, at the rates fixed by the Central Government from time to time and he shall be entitled, without payment of rent, to use a furnished residence throughout his term of office and no charge shall fall on the Vice-Chancellor in respect of the maintenance of such residence;

(*ii*) the Vice-Chancellor shall be entitled to such terminal benefits and allowances as may be fixed by the Executive Council with the approval of the Visitor or his nominee from time to time:

IndiaCode

Provided that where an employee of the University, or a College or an Institution maintained by the University, or of any other University or any College or Institution maintained by or admitted to the privileges of, such other University, is appointed as the Vice-Chancellor, he may be allowed to continue to contribute to any provident fund of which he is a member and the University shall contribute to the account of such person in that provident fund at the same rate at which the person has been contributing immediately before his appointment as Vice-Chancellor:

Provided further that where such employee had been a member of any pension scheme, the University shall make the necessary contribution to such scheme;

(*iii*) the Vice-Chancellor shall be entitled to travelling allowance at such rate as may be fixed by the Executive Council;

(*iv*) the Vice-Chancellor shall be entitled to leave on full pay at the rate of thirty days in a calendar year and the leave shall be credited to his account in advance in two half-yearly instalments of fifteen days each on the 1st day of January and July every year:

Provided that if the Vice-Chancellor assumes or relinquishes charge of the office of the Vice-Chancellor during the currency of a half year, the leave shall be credited proportionately at the rate of two and-a-half days for each completed month of service;

(*v*) in addition to the leave referred to in sub-clause (iv), the Vice-Chancellor shall also be entitled to half pay leave at the rate of twenty days for each completed year of service and this half pay leave may also be availed of as commuted leave on full pay on medical certificate and when commuted leave is availed, twice the amount of half pay leave shall be debited against half pay leave due;

(7) if the office of the Vice-chancellor becomes vacant due to death, resignation or otherwise, or if he is unable to perform his duties due to ill health or any other cause, the senior-most Professor shall perform the duties of the Vice-Chancellor until a new Vice-Chancellor assumes office or until the existing Vice-Chancellor attends to the duties of his office, as the case may be.

5. Powers and duties of the Vice-Chancellor.—(1) The Vice-Chancellor shall be *ex-officio* Chairman of the Executive Council, the Academic Council, Board of Affiliation and Recognition, and the Finance Committee and shall, in the absence of the Chancellor, preside at the Convocations held for conferring degrees and at meetings of the Court.

(2) The Vice-Chancellor shall be entitled to be present at, and address, any meeting of any authority or other body of the University, but shall not be entitled to vote there at unless he is a member of such authority or body.

(3) It shall be the duty of the Vice-Chancellor to see that this Act, the Statutes, the Ordinances and the Regulations are duly observed, and he shall have all the powers necessary to ensure such observance.

(4) The Vice-Chancellor shall exercise control over the affairs of the University and shall give effect to the decisions of all the authorities of the University.

(5) The Vice-Chancellor shall have all the powers necessary for the proper maintenance of discipline in the University and he may delegate any such powers to such person or persons as he may deem fit.

(6) The Vice-Chancellor shall have the power to convene or cause to be convened the meeting of the Executive Council, the Academic Council, the Board of Affiliation and Recognition and the Finance Committee.

(7) The Vice-Chancellor shall have the power to make short-term appointments with the approval of the Executive Council, for a period of six months of such persons as he may consider necessary for the functioning of the University.

6. Deans of Schools.—(1) Every Dean of School shall be appointed by the Vice-Chancellor from amongst the Professors in the School by rotation for a period of three years:

Provided that in case there is only one Professor or no Professor in a School, the Dean shall be appointed, for the time being, from amongst the Professor, if any, and the Associate Professors in the School by rotation:

Provided further that a Dean on attaining the age of sixty-five years shall cease to hold office as such.

(2) When the office of the Dean is vacant or when the Dean is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(3) The Dean shall be the Head of the School and shall be responsible for the conduct and maintenance of the standards of teaching and research in the School and shall have such other functions as may be specified by the Ordinances.

(4) The Dean shall have the right to be present and to speak at any meeting of the Boards of School or Committees of the School, as the case may be, but shall not have the right to vote thereat unless he is a member thereof.

7. Registrar.—(1) The Registrar shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of a Selection Committee constituted for the purpose and shall be a whole-time salaried officer of the University.

(2) The Registrar shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Registrar shall be laid down in Ordinances and may be specified by the Executive Council from time to time:

Provided that the Registrar shall retire on attaining the age of sixty-two years.

(4) When the office of the Registrar is vacant or when the Registrar is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) (*a*) The Registrar shall have power to take disciplinary action against such of the employees, excluding teachers and academic staff, as may be specified in the order of the Executive Council and to suspend them pending inquiry, to administer warnings to them or to impose upon them the penalty of censure or the withholding of increment:

Provided that no such penalty shall be imposed unless the person concerned has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

(*b*) An appeal shall lie to the Vice-Chancellor against any order of the Registrar imposing any of the penalties specified in sub-clause (a).

(*c*) In a case where the inquiry discloses that an action beyond the power of the Registrar is called for, the Registrar shall, upon conclusion of the inquiry, make a report to the Vice-Chancellor along with his recommendations:

Provided that an appeal shall lie to the Executive Council against an order of the Vice-Chancellor imposing any penalty.

(6) The Executive Council may designate the Registrar to act *ex-officio* in one or more of the following capacities-

(*i*) Member Secretary to the Court;

(*ii*) Secretary to the Executive Council;

(*iii*) Secretary to the Academic Council;

(*iv*) Secretary to the Board of Affiliation and Recognition.

(7) It shall be the duty of the Registrar so designated in relation to the authority concerned to-

(*a*) be the custodian of the records, the common seal and such other property of the University as the Executive Council shall commit to his charge;

(*b*) issue all notices convening meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, the Board of Affiliation and Recognition and of any Committees appointed by it;

(*c*) keep the minutes of all the meetings of the Court, the Executive Council, the Academic Council, Board of Affiliation and the Recognition and of any Committees appointed by it;

(*d*) conduct the official correspondence of the Court, the Executive Council, the Academic Council, and the Board of Affiliation and Recognition;

(*e*) arrange for and superintend the examinations of the University in accordance with the manner specified by the Ordinances;

(*f*) supply to the Visitor or his nominee copies of the agenda of meetings of the authorities of the University as soon as they are issued; and the minutes of such meetings;

(*g*) represent the University in suits or proceedings by or against the University, sign powers-of-attorney and verify pleadings or depute his representative for the purpose; and

(*h*) perform such other duties as may be specified in the Statutes, the Ordinances or the Regulations or as may be required, from time to time, by the Executive Council or the Vice-Chancellor.

8. The Finance Officer.—(1) The Finance Officer shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole-time salaried officer of the University.

(2) The Finance Officer shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment for one more term.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Finance Officer shall be such as may be specified by the Executive Council from time to time:

Provided that a Finance Officer shall retire on attaining the age of sixty-two years.

IndiaCode

(4) When the office of the Finance Officer is vacant or when the Finance Officer is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Finance Officer shall be *ex-officio* Secretary of the Finance Committee, but shall not be deemed to be a member of such Committee.

(6) The Finance Officer shall -

(*a*) exercise general supervision over the funds of the University and shall advise it as regards its financial policy; and

(*b*) perform such other financial functions as may be assigned to him by the Executive Council or as may be specified by the Statutes or the Ordinances:

Provided that the Finance Officer shall not make any expenditure or make any investment exceeding one lakh rupees without the prior approval of the Executive Council.

(7) Subject to the control of the Executive Council, the Finance Officer shall- (*a*) hold and manage the property and investments of the University including trust and endowed property;

(*b*) ensure that the limits fixed by the Executive Council for recurring and nonrecurring expenditure for a year are not exceeded and that all moneys are expended on the purpose for which they are granted or allotted;

(*c*) be responsible for the preparation of annual accounts and the budget of the University and for their presentation to the Executive Council after they have been considered by the Finance Committee;

(*d*) keep a constant watch on the state of the cash and balances and on the state of investments;

(*e*) watch the progress of the collection of revenue and advise on the methods of collection employed;

(*f*) ensure that the registers of buildings, land, furniture and equipment are maintained up-to-date and that stock-checking is conducted, of equipment and other consumable materials in all offices, schools, special centres, specialised laboratories, colleges and Institutions maintained by the University;

(*g*) bring to the notice of the Vice-Chancellor, unauthorised expenditure or any other financial irregularities and suggest disciplinary action against persons at fault; and

(*h*) call for from any office, school, centre, laboratory or institutions maintained by the University any information that he may consider necessary for the performance of his duties.

(8) Any receipt given by the Finance Officer or the person or persons duly authorised in this behalf by the Executive Council for any money payable to the University shall be sufficient discharge for payment of such money.

9. Controller of Examinations.—(1) The Controller of Examinations shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of a Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole-time salaried officer of the University.

(2) The Controller of Examinations shall be appointed for a term of five years and shall be eligible for re-appointment.

(3) The emoluments and other terms and conditions of service of the Controller of Examinations shall be such as may be specified by the Executive Council from time to time:

Provided that the Controller of Examinations shall retire on attaining the age of sixty-two years.

(4) When the office of the Controller of Examinations is vacant or when the Controller of Examinations is, by reason of illness, absence or any other cause, unable to perform the duties of his office, the duties of the office shall be performed by such person as the Vice-Chancellor may appoint for the purpose.

(5) The Controller of Examinations shall arrange for and superintend the examinations of the University in the manner specified by the Ordinances.

10. Proctor.—(1) Every Proctor shall be appointed by the Executive Council on the recommendation of the Vice-Chancellor and shall exercise such powers and perform such duties as may be assigned to him by the Vice-Chancellor.

(2) Every Proctor shall hold office for a term of two years and shall be eligible for reappointment.

11. Librarian.—(1) The Librarian shall be appointed by the Executive Council on the recommendations of the Selection Committee constituted for the purpose and he shall be a whole-time salaried officer of the University.

(2) The Librarian shall exercise such powers and perform such duties as maybe assigned to him by the Executive Council.

12. The Warden.—(1) The appointment of a Warden shall, in the case of a Hall maintained by the University, be made by the Executive Council, and in other cases be subject to the approval of the Executive Council.

(2) The Warden shall hold office for a period of two years.

13. Membership, Constitution, Quorum and Tenure of Executive Council.—(1) The Executive Council shall consist of the following Members, namely:-

(*a*) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson, *ex-officio*;

(*b*) the Secretary of Ministry of Civil Aviation, Government of India, or his nominee not below the rank of a Joint Secretary, Member, *ex-officio*;

(*c*) the Director General of Civil Aviation or his nominee not below the rank of a Joint Secretary, Member, *ex-officio*;

(*d*) the Financial Adviser, Ministry of Civil Aviation, Government of India, or his nominee not below the rank of a Joint Secretary, Member, *ex-officio*;

(*e*) one member not below the rank of Joint Secretary from Ministry of Human Resource Development of the Central Government, Member, *ex-officio*;

(*f*) the Commissioner of Security (Civil Aviation), Bureau of Civil Aviation Security or his nominee not below the rank of an Additional Commissioner, Member, *ex-officio*;

(*g*) One representative of Airline Operators to be nominated by Government, Member;

(*h*) One representative of Airport Operators to be nominated by Government, Member;

(*i*) One Dean of Schools nominated by the Vice-Chancellor by rotation on the basis of seniority, Member;

(*j*) One Member of Chief Executive Officer level to be nominated by the Association of Freight/Air Cargo Operators, Member;

(*k*) One Member to be nominated by Maintenance, Repair and Overhaul Units operating in India, Member;

(*l*) One representative of International Air Transport Association, Member;

(*m*) One member to be nominated by the Visitor or his nominee having special knowledge and practical experience in respect of aviation-education, industry, science or technology and other related subjects on the recommendation of the Vice-Chancellor, out of a panel of at least six persons. Any position falling vacant should be replaced from panel of two nominees, Member;

(*n*) One Vice-Chancellor present or former, of any technical University; and

(*o*) One representative of the Government of the State where University is located, Member, ex-officio;

(*p*) One representative of recognised training institutes or affiliated colleges nominated by the Executive Council, Member.

(2) The Registrar shall be *ex-officio* Secretary of the Executive Council.

(3) Nine Members of the Executive Council shall form a quorum for a meeting of the Executive Council.

(4) The members of the Executive Council other than *ex-officio* members shall hold office for a term of three years.

(5) There shall be not less than four meetings of the Executive Council in a year and the rules of procedure for conduct of business to be followed at a meeting and such other matters in relation to meeting as may be necessary shall be such as may be specified by the Statutes.

14. Powers and functions of Executive Council.—(1) The Executive Council shall have the power of management and administration of the revenue and property of the University and the conduct of all administrative affairs of the University not otherwise provided for.

(2) Subject to the provisions of this Act, the Statutes and the Ordinances, the Executive Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:-

(*i*) to create teaching and academic posts including Chairs, to determine the number and emoluments of such posts and to define the duties and conditions of service of Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff and Principals of colleges and institutions maintained by the University:

Provided that no action shall be taken by the Executive Council in respect of the number and qualifications of teachers and academic staff otherwise than after consideration of the recommendations of the Academic Council;

(*ii*) to appoint such Professors, Associate Professors, Assistant Professors and other academic staff, as may be necessary and the Principals of colleges and institutions maintained by the University, on the recommendation of the Selection Committee constituted for the purpose and to fill the temporary vacancies therein;

(*iii*) to create administrative, ministerial and other necessary posts and to define their duties and conditions of their service and to make appointments thereto in the manner specified by the Ordinances;

(*iv*) to grant leave of absence to any officer of the University other than the Chancellor and the Vice-Chancellor, and to make necessary arrangements for the discharge of the functions of such officer during his absence;

(*v*) to regulate and enforce discipline among employees in accordance with the Statutes and the Ordinances;

(*vi*) to manage and regulate the finances, accounts, investments, property, business and all other administrative affairs of the University and for that purpose to appoint such agents as it may think fit;

(*vii*) to fix limits on the total recurring and the total non-recurring expenditure for a year on the recommendations of the Finance Committee;

(*viii*) to invest any money belonging to the University, including any unapplied income, in such stocks, funds, share or securities, from time to time, as it may think fit or in the purchase of immovable property in India, with the like powers of varying such investment from time to time;

(*ix*) to transfer or accept transfers of any movable or immovable property on behalf of the University;

(*x*) to provide buildings, premises, furniture and apparatus and other means needed for carrying on the work of the University;

(*xi*) to enter into, vary, carry out and cancel contracts on behalf of the University;

(*xii*) to entertain, adjudicate upon, and, if thought fit, to redress any grievances of the employees and students of the University who may, for any reason, feel aggrieved;

(*xiii*) to appoint examiners and moderators and, if necessary, to remove them, and to fix their fees, emoluments and travelling and other allowances, after consulting the Academic Council;

(*xiv*) to select a common seal for the University and provide for the custody and use of such seal;

(*xv*) to make such special arrangements as may be necessary for the residence and safety of women students;

(*xvi*) to institute fellowships, scholarships, studentships, assistantships, medals and prizes;

(*xvii*) to provide for the appointment of Visiting Professors, Emeritus Professors, Consultants and Scholars and determine the terms and conditions of such appointments;

(*xviii*) to enter into partnership with industry and non-governmental agencies for the advancement of knowledge and establish a corpus of funds out of the profits of such partnership; and

(*xix*) to enter into collaborations with any Foreign University or Universities of eminence in the Aviation Sector for exchange programmes etc. subject to prevailing regulations;

(*xx*) to prepare rules and regulation for the recognition of aviation training colleges and make provisions;

(*xxi*) to exercise such other powers and perform such other duties as may be conferred or imposed on it by the Act, or the Statutes.

15. Meetings of Court.—(1) An annual meeting of the Court shall be held on a date to be fixed by the Executive Council unless some other date has been fixed by the Court in respect of any year.

(2) A report on the working of the University during the previous year, together with a copy of annual accounts shall be presented at an annual meeting of the Court.

(3) A copy of the annual accounts and annual report shall be sent to every Member of the Court at least seven days before the date of the annual meeting.

(4) One third of the Members of the Court shall form a quorum for a meeting of the Court.

(5) The special meetings of the Court may be convened by Vice-Chancellor.

(6) The Court shall consist of the following members, namely:-

(*i*) the Vice-Chancellor;

(*ii*) the Deans of Schools;

(*iii*) the Dean of Students' Welfare;

(*iv*) the Registrar;

(*v*) the Proctor;

(*vi*) the Finance Officer;

IndiaCode

(*vii*) all Professors who are not Heads of teaching Departments;

(*viii*) two Readers who are not Heads of teaching Departments, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(*ix*) two Lecturers by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(*x*) two members of the non-teaching staff, to be nominated by the Vice-Chancellor;

(*xi*) one representative from the affiliated institutions who shall be the head of the institution, to be nominated by the Vice-Chancellor;

(*xii*) two members of the Students Council;

(*xiii*) five persons representing the Aviation Industry, to be nominated by Visitor or his nominee;

(*xiv*) one representative of each State Government or Union Territory where the University has its headquarters and campuses who are to be nominated by the States or Union territories.

(7) All members of the Court, other than the *ex-officio* members, shall hold office for a term of three years.

16. Membership, Constitution, Quorum and Tenure of the Academic Council.—(1) The Academic Council shall consist of the following members, namely:-

(*a*) the Vice-Chancellor, who shall be the Chairperson *ex-officio*;

(*b*) the Deans of Schools of Studies;

(*c*) all Directors of University maintained Campuses;

(*d*) all Heads of University teaching Departments;

(*e*) one Professor from each University teaching Department by rotation on the basis of seniority to be nominated by the Vice-Chancellor; and

(*f*) three eminent experts in the field of aviation education, Research and related subjects, nominated by the Executive Council;

(*g*) one nominee each of the Directorate General of Civil Aviation and Bureau of Civil Aviation Security, not below the rank of Joint Secretary;

(*h*) two Principals of recognised colleges, if any, under Rajiv Gandhi National Aviation University;

(2) The registrar shall be *ex-officio* Secretary to the Academic Council, but shall have no right to vote.

(3) Seven members of the Academic Council shall form a quorum for a meeting of the Academic Council.

(4) The members of the Academic Council other than *ex-officio* members shall hold office for a term of three years.

(5) The Academic Council shall meet at least twice a year.

17. Powers of Academic Council. Subject to the Act, the Statutes and the Ordinances, the Academic Council shall, in addition to all other powers vested in it, have the following powers, namely:-

(*a*) to exercise general supervision over the academic policies of the University and to give directions regarding methods of instructions, co-operative teaching, evaluation of research or improvements of academic standards;

(*b*) to bring about inter-School co-ordination, to establish or appoint committees or boards, for taking up projects on an inter-School basis;

(*c*) to consider matters of general academic interest either on its own initiative, or on a reference by a School or the Executive Council, and to take appropriate action thereon;

(*d*) to frame such regulations and rules consistent with the Statutes and the Ordinances regarding the academic functioning of the University, discipline, residences, admissions, award of fellowship assistantship, research assistantship and studentships, fees, concessions, corporate life and attendance;

(*e*) to recommend to the Executive Council, the number and qualification of the teacher and other academic staff;

(*f*) to recommend to the Executive Council, persons for award of honorary degrees;

(*g*) to recommend to the Executive Council, examiners and moderators; and

(*h*) to recommend to the Executive Council, setting up of Chairs.

18. Board of Affiliation and Recognition.—(1) The Board of Affiliation and Recognition shall consist of the Vice Chancellor and not more than seven members to be nominated by the Executive Council.

IndiaCode

(2) A member of the Board of Affiliation and Recognition, other than the Vice chancellor shall hold office for a term of three years from the date on which he becomes a member of the Board.

(3) Four members of the Board of Affiliation and Recognition shall form a quorum for a meeting of the Board.

(4) Registrar shall be *ex-officio* Secretary to the Board.

(5) The procedure for considering proposals for recognition and affiliation shall be such as specified in the Ordinances.

19. Schools of Studies.—(1) The University shall have such Schools of Studies as may be specified by the Ordinances.

(2) Every School shall have a School Board and the members of the first School Board shall be nominated by the Executive Council and shall hold office for a period of three years.

(3) The composition, powers and functions of a School Board shall be specified by the Ordinances.

(4) The conduct of the meetings of a School Board and the quorum required for such meetings shall be specified by the Ordinances.

20. Finance Committee.—(1) The Finance Committee shall consist of the following members, namely:-

(*i*) the Vice-Chancellor;

(*ii*) the Financial Adviser Ministry of Civil Aviation or his/her nominee;

(*iii*) one person to be nominated by the Court.

(*iv*) five persons nominated by the Executive Council, out of whom at least one shall be a member of the Executive Council; and

(*v*) the Finance Officer will be ex-officio Secretary of Finance Committee and will not be a member of the Committee.

(2) Five members of the Finance Committee shall form a quorum for a meeting of the Finance Committee.

(3) All the members of the Finance Committee, other than *ex-officio* members, shall hold office for a term of three years.

(4) A member of the Finance Committee shall have the right to record a minute of dissent if he does not agree with any decision of the Finance Committee.

(5) The Finance Committee shall meet at least thrice every year to examine the accounts and to scrutinise proposals for expenditure.

(6) All proposals relating to creation of posts, and those items which have not been included in the Budget, should be examined by the Finance Committee before they are considered by the Executive Council.

(7) The annual accounts and the financial estimates of the University prepared by the Finance Officer shall be laid before the Finance Committee for consideration and comments and thereafter submitted to the Executive Council for approval.

(8) The Finance Committee shall recommend limits for the total recurring expenditure and the total non-recurring expenditure for the year, based on the income and resources of the University (which, in the case of productive works, may include the proceeds of loans).

21. Selection Committees.—(1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of Professor, Associate Professor, Assistant Professor, Registrar, Finance Officer, Controller of Examination and Librarian.

(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of the Vice-Chancellor, and the persons specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table:

TABLE

1	2
Professor	(*i*) the Dean of the School; (*ii*) the Head of the Department, if he is a Professor; (*iii*) three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Professor shall be concerned.
Associate Professor or Assistant Professor	(*i*) the Head of the Department; (*ii*) one Person nominated by the Vice-Chancellor;

	(*iii*) two persons not in service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Associate Professor or Assistant Professor shall be concerned.
Reader or Lecturer	(*i*) the Head of the Department concerned; (*ii*) one Professor to be nominated by the Vice-Chancellor; (*iii*) two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in the subject with which the Reader or a Lecturer shall be concerned.
Registrar or Finance Officer or Controller of Examinations	(*i*) two members of the Executive Council nominated by it; (*ii*) one person not in the service of the University nominated by the Executive Council.
Librarian	(*i*) two persons not in the service of the University, who have special knowledge of the subject of the Library Science or Library Administration nominated by the Executive Council; (*ii*) one person not in the service of the University, nominated by the Executive Council.
Dean of School of Studies:	Three persons not in the service of the University of whom two shall be nominated by the Executive Council and one by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, a subject in which instruction is being provided by the School of Studies.

Notes.1. *Where the appointment is being made for an inter-disciplinary project, the head of the project shall be deemed to be the Head of the Department concerned.*

2. The Professor to be nominated by the Vice-chancellor shall be Professor concerned with the speciality for which the selection is being made and the Vice-Chancellor shall consult the Head of the Department and the Dean of School before nominating the Professor.

(3) The Vice-Chancellor, or in his absence the acting Vice-Chancellor shall convene and preside at the meetings of a Selection Committee:

Provided that the meetings of the Selection Committee shall be fixed after prior consultation with, and subject to the convenience of Visitor's nominee and the experts nominated by the Executive Council:

Provided further that the proceedings of the Selection Committee shall not be valid unless—

(*a*) where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is four in all, at least three of them attend the meeting; and

(*b*) where the number of Visitor's nominee and the persons nominated by the Executive Council is three in all, at least two of them attend the meeting.

(4) The procedure to be followed by the Selection Committee in making recommendations shall be laid down in the Ordinances.

(5) If the Executive Council is unable to accept the recommendations made by a Selection Committee, it shall record its reasons and submit the case to the Visitor or his nominee for final orders.

(6) The appointments to temporary posts shall be made in the manner indicated below:

(*i*) if the temporary vacancy is for duration longer than one academic session, it shall be filled on the advice of the Selection Committee in accordance with the procedure indicated in the foregoing clauses:

Provided that if the Vice-Chancellor is satisfied that in the interests of work it is necessary to fill the vacancy, the appointment may be made on a purely temporary basis on the advice of a local Selection Committee referred to in sub-clause (ii) for a period not exceeding six months.

(*ii*) if the temporary vacancy is for a period less than a year, an appointment to such vacancy shall be made on the recommendation of a local Selection Committee consisting of the Dean of the School concerned, the Head of the Department and a nominee of the Vice-Chancellor:

Provided that if the same person holds the offices of the Dean and the Head of the Department, the Selection Committee may contain two nominees of the Vice-Chancellor:

Provided further that in case sudden casual vacancies of teaching posts caused by death or any other reason, the Dean may, in consultation with the Head of the Department concerned, make a temporary appointment for a month and report to the Vice-Chancellor and the Registrar about such appointment.

(*iii*) no teacher appointed temporarily shall, if he is not recommended by the regular Selection Committee for appointment under the Statutes, be continued in service on such temporary employment, unless he is subsequently selected by a local Selection Committee or a regular Selection Committee, for a temporary or permanent appointment, as the case may be.

22. Special mode of appointment.—(1) The Executive Council may invite a person of high academic distinction and professional attainments to accept a post of Professor, Associate Professor or Reader or any other equivalent academic post in the University, as the case may be, on such terms and conditions as it deems fit and on the person agreeing to do so appoint him to the post:

Provided that the Executive Council may also create supernumerary posts for a specified period for appointment of such persons:

Provided further that the number of supernumerary posts so created should not exceed five per cent of the total posts in the University.

(2) The Executive Council may appoint a teacher or any other academic staff working in any other University or organisation for undertaking a joint project in accordance with the manner laid down in the Ordinances.

23. Appointment for a fixed tenure. The Executive Council may appoint a person selected in accordance with the procedure laid down in Statute 21 for a fixed tenure on such terms and conditions as it deems fit.

24. Standing or Special Committees.—(1) Any authority of the University may appoint as many Standing or Special Committees as it may deem fit, and may appoint to such Committees, persons who are not members of such authority.

(2) A Committee appointed under clause (1) may deal with any subject delegated to it subject to subsequent confirmation by the authority appointing it**.**

25. Terms and conditions of service and code of conduct of teachers, etc.—(1) All the teachers and other academic staff of the University shall, in the absence of any agreement to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) The emoluments of members of the academic staff shall be such as may be specified by the Ordinances.

(3) Every teacher and member of the academic staff of the University shall be appointed on a written contract, the form of which shall be specified by the Ordinances.

(4) A copy of every contract referred to in clause (3) shall be deposited with the Registrar.

26. Terms and conditions of service and code of conduct of other employees.—(1) All the employees of the University, other than the teachers and other academic staff of the University, shall, in the absence of any contract to the contrary, be governed by the terms and conditions of service and code of conduct as are specified in the Statutes, the Ordinances and the Regulations.

(2) The manner of appointment and emoluments of employees, other than the teachers and other academic staff, shall be such as may be specified by the Ordinances.

27. Seniority list.—(1) Whenever, in accordance with the Statutes, any person is to hold an office or be a member of an authority of the University by rotation according to seniority, such seniority shall be determined according to the length of continuous service of such person in his grade, and in accordance with such other principles as the Executive Council may, from time to time, prescribe.

(2) It shall be the duty of the Registrar to prepare and maintain, in respect of each class of persons to whom the provisions of these Statutes apply, a complete and up-to-date seniority list in accordance with the provisions of clause (1).

India Code

(3) If two or more persons have equal length of continuous service in a particular grade or the relative seniority of any person or persons is otherwise in doubt, the Registrar may, on his own motion and shall, at the request of any such person, submit the matter to the Executive Council whose decision thereon shall be final.

28. Removal of employees of University.—(1) Where there is an allegation of misconduct against a teacher, a member of the academic staff or other employee of the University, the Vice-Chancellor, in the case of the teacher or member of the academic staff, and the authority competent to appoint (here after in this Statute referred to as the appointing authority) in the case of other employee, may, by order in writing, place such teacher, member of the academic staff or other employee, as the case may be, under suspension and shall forthwith report to the Executive Council the circumstances in which the order was made:

Provided that the Executive Council may, if it is of the opinion, that the circumstances of the case do not warrant the suspension of the teacher or the member of the academic staff, revoke such order.

(2) Notwithstanding anything contained in the terms of the contract of appointment or of any other terms and conditions of service of the employees, the Executive Council in respect of teachers and other academic staff, and the appointing authority, in respect of other employees, shall have the power to remove a teacher or a member of the academic staff or other employee, as the case may be, on grounds of misconduct.

(3) Save as aforesaid, the Executive Council, or as the case may be the appointing authority, shall not be entitled to remove any teacher, member of the academic staff or other employee except for a good cause and after giving three months' notice or on payment of three months' salary in lieu thereof.

(4) No teacher, member of the academic staff or other employee shall be removed under clause (2) or clause (3) unless he has been given a reasonable opportunity of showing cause against the action proposed to be taken in regard to him.

(5) The removal of a teacher, member of the academic staff or other employee shall take effect from the date on which the order of removal is made:

Provided that where the teacher, member of the academic staff or other employee is under suspension at the time of his removal, such removal shall take effect from the date on which he was placed under suspension.

(6) Notwithstanding anything contained in the foregoing provisions of this Statute, a teacher, member of the academic staff or other employee may resign—

(*a*) if he is a permanent employee, only after giving three months' notice in writing to the Executive Council or the appointing authority, as the case may be, or by paying three months' salary in lieu thereof; and

(*b*) if he is not a permanent employee, only after giving one month's notice in writing to the Executive Council or, as the case may be, the appointing authority or by paying one month's salary in lieu thereof:

Provided that such resignation shall take effect only on the date on which the resignation is accepted by the Executive Council or the appointing authority, as the case may be.

29. Honorary Degrees.—(1) The Executive Council may, on the recommendation of the Academic Council and by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, make proposals to the Visitor or his nominee for the conferment of honorary degrees:

Provided that in case of emergency, the Executive Council may, on its own motion, make such proposals.

(2) The Executive Council may, by a resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw, with the previous sanction of the Visitor or his nominee, any honorary degree conferred by the University.

30. Withdrawal of degrees, etc. The Executive Council may, by a special resolution passed by a majority of not less than two-thirds of the members present and voting, withdraw any degree or academic distinction conferred on, or any certificate or diploma granted to, any person by the University for good and sufficient cause:

Provided that no such resolution shall be passed until a notice in writing has been given to that person calling upon him to show cause within such time as may be specified in the notice as to why such a resolution should not be passed and until his objections, if any, and any evidence he may produce in support of them, have been considered by the Executive Council.

31. Maintenance of discipline among students of University.—(1) All powers relating to the maintenance of discipline and disciplinary action in relation to students of the University shall vest in the Vice-Chancellor.

(2) There shall be a Proctor of the University to assist the Vice-Chancellor in the exercise of the powers referred to in clause (1), who shall be appointed by the Executive Council from amongst the Professors and Associate Professors in the manner specified by the Ordinances.

(3) The Vice-Chancellor may delegate all or any of his powers referred to in clause (1), as he deems proper, to a Proctor and to such other officers as he may specify in this behalf.

(4) Without prejudice to the generality of his powers relating to the maintenance of discipline and taking such action, as may seem to him appropriate for the maintenance of discipline, the Vice-Chancellor may, in exercise of his powers, by order, direct that any student or students be expelled or rusticated, for a specified period, or be not admitted to a course or courses of study in a School or Department of the University for a stated period, or be punished with fine for an amount to be specified in the order or be debarred from taking an examination or examinations conducted by the University, Department or a School for one or more years, or that the results of the student or students concerned in the examination or examinations in which he or they have appeared be cancelled.

(5) The Principals of Colleges, Institutions, Deans of Schools of Studies and Heads of teaching Departments in the University shall have the authority to exercise all such disciplinary powers over the students in their respective Colleges, Institutions, Schools and teaching Departments in the University, as may be necessary for the proper conduct of such Schools and teaching Departments.

(6) Without prejudice to the powers of the Vice-Chancellor, the Deans and other persons specified in clause (5), detailed rules of discipline and proper conduct shall be made by the University, the Deans of Schools of Studies and Heads of teaching Departments in the University may also make such supplementary rules as they deem necessary for the aforesaid purpose.

(7) Every student shall at the time of admission, be required to sign a declaration to the effect that he submits himself to the disciplinary jurisdiction of the Vice-Chancellor and other authorities of the University.

32. Maintenance of discipline among students of Colleges, etc. All powers relating to discipline and disciplinary action in relation to students of a College or an Institution, not maintained by the University, shall vest in the Principal of the College or Institution, as the case may be, in accordance with the procedure as may be specified by the Ordinances.

33. Admission of Colleges, etc., to the privilege of University.—(1) The Colleges and other Institutions situated within the jurisdiction of the University may be admitted to such privileges of the University as the Executive Council may decide on the following conditions, namely:—

(*i*) every such College or Institution shall have a regularly constituted Governing Body, consisting of not more than fifteen persons approved by the Executive Council and including among others, two teachers of the University to be nominated by the Executive Council and three representatives of the teaching staff of whom the Principal of the College or Institution shall be one and the procedure for appointment of members of the Governing Body and other matters affecting the management of a College or an Institution shall be such as may be specified by the Ordinances:

Provided that the said condition shall not apply in the case of Colleges and Institutions maintained by Government which shall, however, have an Advisory Committee consisting of not more than fifteen persons which shall consist of among others, three teachers including the Principal of the College or Institution, and two teachers of the University nominated by the Executive Council.

(*ii*) every such College or Institution shall satisfy the Executive Council on the following matters, namely:—

(*a*) the suitability and adequacy of its accommodation and equipment for teaching;

(*b*) the qualifications and adequacy of its teaching staff and the conditions of their service;

(*c*) the arrangements for the residence, welfare, discipline and supervision of students;

(*d*) the adequacy of financial provision made for the continued maintenance of the College or Institution; and

(*e*) such other matters as are essential for the maintenance of the standards of University education.

(*iii*) no College or Institution shall be admitted to any privileges of the University except on the recommendation of the Academic Council made after considering the report of a Committee Inspection appointed for the purpose by the Academic Council.

(*iv*) the Colleges and Institutions desirous of admission to any privileges of the University shall be required to intimate their intention to do so in writing so as to reach the Registrar not later than the 15th August, preceding the year from which permission applied for is to have effect.

(*v*) a College or an Institution shall not, without the previous permission of the Executive Council and the Academic Council, suspend instruction in any subject or course of study which it is authorised to teach and teaches.

(2) The appointment to the teaching staff and Principals of Colleges or Institutions admitted to the privileges of the University shall be made in the manner specified by the Ordinances:

Provided that nothing in this clause shall apply to Colleges and Institutions maintained by Government.

(3) The service conditions of the administrative and other non-academic staff of every College or Institution referred to in clause (2) shall be such as may be laid down in the Ordinances:

Provided that nothing in this clause shall apply to Colleges and Institutions maintained by Government.

(4) Every College or Institution admitted to the privilege of the University shall be inspected at least once in every two academic years by a Committee appointed by the Academic Council, and the report of the Committee shall be submitted to the Academic Council, which shall forward the same to the Executive Council with such recommendations as it may deem fit to make.

(5) The Executive Council, after considering the report and the recommendations, if any, of the Academic Council, shall forward a copy of the report of the Governing Body of the College or Institution with such remarks, if any, as it may deem fit for suitable action.

(6) The Executive Council may, after consulting the Academic Council, withdraw any privileges granted to a College or an Institution, at any time it considers that the College or Institution does not satisfy any of the conditions on the fulfillment of which the College or Institution was admitted to such privileges:

Provided that before any privileges are so withdrawn, the Governing Body of the College or Institution concerned shall be given an opportunity to represent to the Executive Council why such action should not be taken.

(7) Subject to the conditions set forth in clause (1), the Ordinances may specify—

(*i*) such other conditions as may be considered necessary;

(*ii*) the procedure for the admission of Colleges and Institutions to the privileges of the University and for the withdrawal of those privileges.

(8) The constitution of Board of affiliation and recognition and the terms of office of its members shall be such as may be specified by the Ordinances.

34. Convocations. The Convocations of the University for the conferring of degrees or for other purposes shall be held in such manner as may be specified by the Ordinances.

35. Acting Chairman of meetings. Where no provision is made for a President or Chairman to preside over a meeting of any authority of the University or any Committee of such authority or when the President or Chairman so provided for is absent, the members present shall elect one from among themselves to preside at such meeting.

36. Resignation. Any member, other than an *ex-officio* member of the Court, the Executive Council, the Academic Council or any other authority of the University or any committee of such authority may resign by letter addressed to the Registrar and the resignation shall take effect as soon as such letter is received by the Registrar.

37. Disqualifications.—(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of any of the authorities, or for being appointed as, and for being, an officer, of the University, if he—

(*i*) is of unsound mind;

(*ii*) is an undischarged insolvent; and

(*iii*) has been convicted by a court of law of an offence involving moral turpitude and sentenced in respect thereof to imprisonment for not less than six months.

(2) If any question arises as to whether a person is or had been subjected to any of the disqualifications mentioned in clause (1), the question shall be referred to the Visitor or his nominee and his decision shall be final and no suit or other proceeding shall lie in any civil court against such decision.

38. Residence condition for membership and office.—Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who is not ordinarily resident in India shall be eligible to be an officer of the University or a member of any authority of the University.

39. Membership of authorities by virtue of membership of other bodies.—Notwithstanding anything contained in the Statutes, a person who holds any post in the University or is a member of any authority or body of the University in his capacity as a member of a particular authority or body or as the holder of a particular appointment shall hold such office or membership only for so long as he continues to be a member of that particular authority or body or the holder of that particular appointment, as the case may be.

40. Alumni Association.—(1) There shall be an Alumni Association for the University.

(2) The subscription for membership of the Alumni Association shall be as such may be specified by the Ordinances.

(3) No member of the Alumni Association shall be entitled to vote or stand for election unless he has been a member of the Association for at least one year prior to the date of election and is a degree holder of the University of at least five years standing:

Provided that the condition relating to the completion of one year's membership shall not apply in the case of the first election.

41. Students' Council.—(1) There shall be constituted in the University, a Students' Council for every academic year, consisting of

(*i*) the Dean of Students' Welfare who shall be the Chairman of the Students' Council;

(*ii*) ten students to be nominated by the Academic Council on the basis of merit in studies, sports and extra-curricular activities; and

(*iii*) twenty students to be elected by the students as their representatives:

Provided that any student of the University shall have the right to bring up any matter concerning the University before the Students' Council if so permitted by the Chairman, and he shall have the right to participate in the discussions at any meeting when the matter is taken up for consideration.

(2) The functions of the Students' Council shall be to make suggestions to the appropriate authorities of the University in regard to the programmes of studies, students' welfare and other matters of importance in regard to the working of the University in general and such suggestions shall be made on the basis of consensus of opinion.

(3) The Students' Council shall meet at least twice in every academic year and the first meeting of the Council be held in the beginning of the academic session.

42. Ordinances how to be made.—(1) The first Ordinances made under sub-section (2) of section 28 of this Act may be amended, repealed or added to at any time by the Executive Council in the manner specified below.

(2) No Ordinance in respect of the matters enumerated in sub-section (1) of section 28 of this Act shall be made by the Executive Council unless a draft of such Ordinance has been proposed by the Academic Council.

(3) The Executive Council shall not have power to amend any draft of any Ordinance proposed by the Academic Council under clause (2), but may reject the proposal or return the draft to the Academic Council for reconsideration, either in whole or in part, together with any amendment which the Executive Council may suggest.

(4) Where the Executive Council has rejected or returned the draft of an Ordinance proposed by the Academic Council, the Academic Council may consider the question afresh and in case the original draft is reaffirmed by a majority of not less than two thirds of the members present and voting and more than half the total number of members of the Academic Council, the draft may be sent back to the Executive Council which shall either adopt it or refer it to the Visitor or his nominee whose decision shall be final.

(5) Every Ordinance made by the Executive Council shall come into effect immediately.

(6) Every Ordinance made by the Executive Council shall be submitted to the Visitor or his nominee within two weeks from the date of its adoption.

(7) The Visitor or his nominee shall have the power to direct the University within four weeks of the receipt of the Ordinance to suspend the operation of any such Ordinance.

(8) The Visitor or his nominee shall inform the Executive Council about his objection to the Ordinances referred to in clause (7) and may, after receiving the comments of the University, either withdraw the order suspending the Ordinance or disallow the Ordinance, and his decision shall be final.

43. Regulations.—(1) The authorities of the University may make regulations consistent with the Act, the Statutes and the Ordinances for the following matters, namely:—

(*i*) laying down the procedure to be observed at their meetings and the number of members required to form a quorum;

(*ii*) providing for all matters which are required by the Act, the Statutes or the Ordinances to be specified by regulations; and

(*iii*) providing for all other matters solely concerning such authorities or committees appointed by them and not provided for by the Act, the Statutes or the Ordinances.

(2) Every authority of the University shall make regulations providing for the giving of notice to the members of such authority of the dates of meeting and of the business to be considered at meetings and for the keeping of a record of the proceedings of meetings.

(3) The Executive Council may direct the amendment in such manner as it may specify of any Regulation made under the Statutes or the annulment of any such Regulation.

44. Delegation of powers.—Subject to the provisions of the Act and the Statutes, any officer or authority of the University may delegate his or its powers to any other officer or authority or person under his or its respective control and subject to the condition that overall responsibility for the exercise of the powers so delegated shall continue to vest in the officer or authority delegating such powers.

45. Review of Fee.—The admission and tuition fee relating to the University shall be reviewed by Executive Council on the recommendation of Finance Committee.

[F. No. AV-28011/16/2015-ER]

Dr. RENU SINGH PARMAR, Sr. Adviser

IndiaCode

Uploaded by the Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.